

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2017/श्रावण 12, 1939

No. 196]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2017/ SRAVANA 12, 1939

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2017

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देश

संख्या 23/27/2017-R&R.— 1.प्रस्तावना

1.1. पृष्ठभूमि

- 1.1.1. भारत में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना विद्युत अधिनियम, 2003, ('अधिनियम') के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। वितरण लाइसेंसियों के लिए बिजली की खरीद लागत सबसे बड़ा लागत घटक है। वितरण लाइसेंसियों द्वारा बिजली की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद से विद्युत की खरीद की समग्र लागत में कमी आने की संभावना है और इससे विद्युत बाजारों के विकास में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बिजली के थोक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा से विद्युत के दामों में कमी आयी है और उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचा है।
- 1.1.2. अधिनियम की धारा 61 और 62 एक समुचित आयोग द्वारा शुल्क नियमन और उत्पादन, पारेषण, संचालन शुल्क और बिजली की खुदरा बिक्री के निर्धारण की व्यवस्था करती है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178(2) के साथ पठित धारा 61 के परन्तुक के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें तय करने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियम, 2012 बनाए गए। इसके अतिरिक्त धारा 63 में कहा गया है कि—

"धारा 62 में किसी बात के होते हुए भी, समुचित आयोग शुल्क को मंजूरी दे सकता है, बशर्ते शुल्क का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के ज़रिए किया गया हो।"

1.1.3 विद्युत अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि उत्पादक कंपनी अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार किसी लाइसेंसी को विद्युत आपूर्ति कर सकती है और धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, किसी उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति कर सकती है।

(1)

4712 GI/2017

1.1.4 विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय शुल्क नीति, 2016 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत की खरीद के बारे में विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस नीति की धारा 6.4(2) के अनुसार, "राज्य शुल्क कम रखने के लिए, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों को छोड़ कर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जिरए बिजली खरीदने का प्रयास करेंगे। वितरण लाइसेंसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, अधिसूचित क्षमता से अधिक सोलर पीवी पॉवर परियोजनाओं से बिजली की खरीद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जिरए की जाएगी। परंतु, ऐसी अधिसूचना जारी होने तक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं से विद्युत की ऐसी कोई खरीद, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अंतर्गत की जा सकती है।"

1.2 लक्ष्य

- 1.2.1 इन दिशा-निर्देशों के विशेष लक्ष्य नीचे दिए गए है:
- क) वितरण लाइसेंसियों द्वारा सोलर पीवी पावर संयंत्रों से विद्युत की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद को बढ़ावा देना ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;
- ख) खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सहायता पहुंचाना और दीर्घावधि की अंतर-राज्य ∕राज्यांतरिक विद्युत खरीद-फरोख्त के लिए एक एग्रीगेटर ट्रेडर के रूप में मध्यस्थ खरीदार के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना;
- ग) प्रक्रियाओं में मानकीकरण और समानता लाना और विभिन्न हितभागियों के बीच एक जोखिम-साझा करने वाला फ्रेमवर्क कायम करना, जो सोलर पीवी पॉवर विद्युत खरीद में शामिल हो, और इस तरह निवेश को प्रोत्साहित करना, परियोजनाओं के लिए बैंक सहायता में बढ़ोतरी करना और निवेशकों के लिए लाभप्रदता कायम करना।

2. दिशा-निर्देशों का क्षेत्र

2.1 दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता

2.1.1 ये दिशा-निर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत 'खरीदारों' द्वारा 5 मेगावाट और उससे अधिक आकार की ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं ('परियोजनाओं') से प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए विद्युत की दीर्घाविध खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।

स्पष्टीकरण

- क) 'खरीदार': 'खरीदार' शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार, वितरण लाइसेंसी या अधिकृत प्रतिनिधि, या कोई मध्यस्थ खरीदार है।
- ख) 'खरीदार का अधिकृत प्रतिनिधि': इन दिशा निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामलों में, जहां विद्युत खरीद समझौता हस्ताक्षर करने वाली एजेंसी और निविदा बोली प्रक्रिया संचालित करने वाली एजेंसी अलग-अलग हों, निविदा बोली प्रक्रिया को संचालित करने वाली एजेंसी 'खरीदार' की अधिकृत प्रतिनिधि समझी जाएगी और बोली चरण के दौरान खरीदार पर लागू होने वाले सभी दायित्व पुरे करने के लिए जिम्मेदार होगी।

ग) 'मध्यस्थ खरीदार' और 'अंतिम खरीदार' :

- i) कुछ मामलों में विभिन्न सौर विद्युत उत्पादकों से खरीदी गई सौर विद्युत को एकत्रित करने और उसे वितरण लाइसेंसी को बेचने, अथवा क्रेडिट प्रोफाइल बढ़ाने के लिए वितरण लाइसेंसी और उत्पादक ('सौर विद्युत उत्पादक') के बीच, एक मध्यस्थ, की आवश्यकता हो सकती है। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, ऐसे मामलों में, "खरीदार" एक व्यापारी होगा, जो सौर विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीदेगा और उसे एक या अधिक वितरण लाइसेंसियों को बेचेगा, ऐसे में बिजली खरीदने वाले वितरण लाइसेंसी "अंतिम खरीदार" होंगे और व्यापारी "मध्यस्थ खरीदार" कहलाएगा।
- ii) मध्यस्थ खरीदार सौर विद्युत उत्पादक के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करेगा और साथ ही अंतिम खरीदार के साथ भी विद्युत बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर करेगा। पीएसए में पीपीए के सम्बद्ध प्रावधान एक के बाद एक शामिल होंगे। अंतिम खरीदार द्वारा मध्यस्थ खरीदार को समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित (अथवा ऐसी अधिसूचना के अभाव में मध्यस्थ खरीदार और अंतिम खरीदार द्वारा आपसी सहमति से तय की गई) दर से व्यापारिक लाभ प्रदान किया जाएगा।

- iii) ऐसे मामलों में मध्यस्थ खरीदार जहां तक सौर विद्युत की खरीद के लिए इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगा, उस सीमा तक यह समझा जाएगा कि सौर विद्युत की खरीद के लिए अंतिम खरीदार द्वारा इन नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।
- 2.1.2 इन दिशा निर्देशों में जब तक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो, इन दिशा निर्देशों के प्रावधान खरीदार अधिकृत प्रतिनिधि पर लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों से किसी प्रस्तावित विचलन के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन दिशा निर्देशों के खंड 18 में निर्दिष्ट की गई है।

2.2 समुचित आयोग

- 2.2.1 अधिनियम के प्रावधानों के अधीनः
- क) एकल वितरण लाइसेंसी खरीदार होने के मामले में, इन दिशा निर्देशों के प्रयोजन के लिए, समुचित आयोग, उस राज्य का राज्य विद्युत नियामक आयोग होगा, जहां वितरण लाइसेंस स्थित है।
- ख) संयुक्त खरीदार के मामले में जहां, वितरण लाइसेंसी एक राज्य से अधिक राज्यों में स्थित हो, इन बोली दिशा निर्देशों के प्रयोजन के लिए समुचित आयोग, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग होगा।
- ग) केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से बिजली की बिक्री संबंधी मामलों के लिए, समुचित आयोग केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग होगा।
- 3. बोली आमंत्रित करने की तैयारी और परियोजना की तैयारी
- 3.1 खरीदार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

खरीदार निम्नांकित शर्तें पूरी करेगाः

- 3.1.1 बोली दस्तावेज तैयार करनाः
- क) नीचे खंड (ग) में निर्दिष्ट के सिवाए इन दिशा निर्देशों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानक बोली दस्तावेज (एसबीडीज़) के अनुसार बोली दस्तावेज (जिनमें माडल रिक्केस्ट फार सिलेक्शन (आरएफएस) दस्तावेज, आदर्श विद्युत खरीद समझौता और आदर्श विद्युत बिक्री समझौता शामिल होगा) तैयार करेगा।
- ख) बोली प्रक्रिया आमंत्रित करने के बारे में समुचित आयोग को सूचित करेगा।
- ग) इन दिशा निर्देशों के खंड 18 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आरएफएस के मसौदे, पीपीए के मसौदे, पीएसए के मसौदे में इन दिशा निर्देशों और ∕या एसबीडीज़ से कोई विचलन होने की स्थिति में समुचित आयोग से उसका अनुमोदन लेगा।
- i) परंतु, केंद्र सरकार द्वारा मानक बोली दस्तावेज (एसबीडीज़) अधिसूचित किए जाने के समय तक, स्पष्टता के प्रयोजन के लिए, यदि खरीदार आरएफएस मसौदा, पीपीए मसौदा, पीएसए मसौदा और अन्य परियोजना प्रबंधों की तैयारी करते समय ऐसे व्यापक प्रावधान करता है, जो दिशा निर्देशों के अनुकूल हों, तो ऐसी व्यवस्थाओं को इन दिशा निर्देशों का विचलन नहीं समझा जाएगा, भले ही ऐसे ब्यौरे इन दिशा निर्देशों में प्रदान न किए गए हों।
- इसके अतिरिक्त, जारी बोली प्रक्रिया के मामले में, यदि इन दिशा निर्देशों और या एसबीडीज़ की अधिसूचना से पहले ही बोलीदाताओं ने बोलियां जमा करा दी हों, तो इन दिशा निर्देशों और या एसबीडीज़ और प्रस्तावित आरएफएस, पीपीए, पीएसए (यदि लागू हो) में कोई विचलन होने की स्थिति में, आरएफएस, पीपीए और पीएसए के प्रस्ताव लागू होंगे।
- घ) निम्नांकित मंजूरियां प्राप्त करेगा, जो भी प्रासंगिक होः
- i) मसौदा पीपीए, मसौदा पीएसए और अन्य परियोजना अनुबंधों के अनुरूप, खरीदार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले स्थान पर लगाई जाने वाली परियोजनाओं से खरीद के मामले में, मसौदा भूमि लीज़ या अन्य भूमि संबंधी समझौतों के सम्बद्ध प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करना।
- ii) प्रस्तावित खरीद विषयक मसौदा आरएफएस, पीपीए और पीएसए के बारे में अंतिम खरीदार से मंजूरी लेना।

- iii) खरीदार द्वारा निर्दिष्ट सोलर पार्कों में स्थित परियोजनाओं से खरीद के मामले में सोलर पार्क ('सोलर विद्युत पार्क विकासक' (एसपीपीडी)) विकसित करने वाली एजेंसी से मसौदा पीपीए और मसौदा पीएसए के अनुरूप, कार्यान्वयन समझौते के मसौदे के लिए मंजुरी लेना।
- 3.1.2 मंजूरियों सहित स्थल संबंधी परियोजना तैयारी गतिविधियां

खरीदी जा रही विद्युत की समय पर आपूर्ति प्रारंभ करना सुनिश्चित करने के लिए और बोलीदाताओं को खरीदार की अटूट इच्छा से आश्वस्त कराने के लिए, यह जरूरी है कि इन दिशा निर्देशों के खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 में वर्णित विभिन्न परियोजना तैयारी विषयक गतिविधियां समय पर परी की जाएं।

3.2 स्थल संबंधी प्रबंध

खरीददारों द्वारा जारी किए जाने वाले बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार, खरीदार द्वारा परियोजना या तो परियोजना स्थल पर स्थापित की जा सकती है, अथवा सौर विद्युत उत्पादक द्वारा चुने हुए स्थान पर परियोजना लगाई जा सकती है।

- 3.2.1 **खरीदार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थलः** खरीदार किसी निर्दिष्ट स्थान पर परियोजना लगाने का चयन कर सकता है और उसे खरीदार द्वारा बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे मामलों में विद्युत आपूर्ति समय पर प्रारंभ होना सुनिश्चित करने के लिए, खरीदार यह सुनिश्चित करेगा कि नीचे वर्णित अनुसार विभिन्न परियोजना तैयारी गतिविधियां आरएफएस जारी होने से पहले खरीदार द्वारा प्रारंभ कर दी गई हैं। ये गतिविधियां पीपीए पर हस्ताक्षर होने से पहले पूरी की जाएंगी।
- क) भूमिः 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) भूमि की पहचान और बोली शुरू होने के समय न्यूनतम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) भूमि की उपलब्धता सैद्धांतिक रूप में दर्शाने के लिए दस्तावेज समझौतों का प्रावधान और पीपीए पर हस्ताक्षर होने के एक महीने के भीतर 90 प्रतिशत (नब्बे प्रतिशत) भूमि का कब्जा और शेष 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) भूमि इसके 2 (दो) माह के भीतर प्राप्त करना।
- ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), पर्यावरणीय मंजूरी (यदि लागू हो), प्राप्त करना।
- ग) परियोजना के लिए भूमि हेतु वन संबंधी मंजूरी (यदि लागू हो) प्राप्त करना।
- घ) परियोजना के लिए अपेक्षित जल के लिए सम्बद्ध प्राधिकरण की मंजूरी (यदि लागू हो) लेना।
- ङ) एसटीयू सीटीयू से पत्र प्राप्त करना, जिसमें एसटीयू सीटीयू सब-स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि की गई हो, परंतु यह पत्र उन मामलों में आवश्यक नहीं है जहां सम्बद्ध एसटीयू सीटीयू ने कनेक्टिविटी की व्यवहार्यता के लिए सब-स्टेशन वार क्षमताएं अधिसूचित कर दी हों।
- 3.2.2 किसी सोलर पार्क में खरीदार द्वारा निर्दिष्ट परियोजनाः खरीदार समुचित ढांचायुक्त और सुविधाओं तक पहुंच वाले संकेंद्रित जोन ('सोलर पार्क') का चयन परियोजना लगाने के लिए कर सकता है और खरीदार द्वारा उसे बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट किया जा सकता है। सोलर पार्क एमएनआरई द्वारा जारी, समय समय पर यथासंशोधित "सोलर पार्कों के विकास के लिए दिशा निर्देश" के अनुसार विकसित किया जाएगा। इसके बावजूद, विद्युत आपूर्ति की शुरुआत समय पर सुनिश्चित करने के लिए खरीदार सुनिश्चित करेगा कि ऊपर वर्णित खंड 3.2.1 (क) से (ङ) तक परियोजना तैयारी गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं और उन्हें सम्बद्ध एसपीपीडी द्वारा उसमें वर्णित समय सीमा के अनुसार पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त सोलर पॉवर पार्क विकासक के दायित्वों में एमएनआरई द्वारा विकसित "सोलर पार्कों के विकास के लिए दिशा-निर्देशों" का अनुपालन और सहायता समझौते का कार्यान्वयन भी शामिल है, जो सोलर पॉवर पार्क विकासक और सोलर पॉवर जेनेरेटर के बीच सम्बंध को परिभाषित करता है।
- 3.2.3 सोलर विद्युत उत्पादकों द्वारा चुना गया परियोजना स्थलः यदि खरीदार कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं करता है, अथवा सोलर पार्क में कोई स्थान तय नहीं करता है, और परियोजना स्थल का चयन सौर विद्युत उत्पादक द्वारा किया जाता है, तो उसे समय पर पूरा किया जाना और विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करना सुनिश्चित करने के लिए, बोलीदाता नीचे दिए गए मामलों के संदर्भ में दस्तावेज जमा कराएगा ताकि बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार परियोजना पूरी की जा सकेः
- क) भूमि अधिग्रहणः बोली जमा कराए जाने के समय 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) भूमि की पहचान और 7 (सात) महीने के भीतर पीपीए पर हस्ताक्षर, सौर विद्युत उत्पादक अथवा उससे सम्बद्ध पक्ष के नाम में अपेक्षित भूमि का कब्जा 100 प्रतिशत

(शत प्रतिशत) इस्तेमाल का अधिकार स्थापित करने के लिए दस्तावेज जमा कराना स्त्रीज अनुबंध करना। यदि भूमि सम्बद्ध पक्ष के नाम पर हो, तो उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख (एससीडी) से पहले भूमि को सौर ऊर्जा उत्पादक के नाम स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जहां प्राइवेट भूमि के लीज का मामला हो, तो सौर विद्युत उत्पादक के डीफाल्ट के मामले में, लीज के अंतर्गत भी भूमि ऋणदाता या खरीदार को हस्तांतरित की जानी चाहिए।

- ख) परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) /पर्यावरणीय मंजूरी (यदि लागू हो), प्राप्त करना।
- ग) परियोजना के लिए भूमि हेतु वन संबंधी मंजूरी (यदि लागू हो) प्राप्त करना।
- घ) परियोजना के लिए अपेक्षित जल के लिए सम्बद्ध प्राधिकरण की मंजूरी (यदि लागू हो) लेना।
- ङ) राज्य ट्रांसिमशन संस्था (एसटीयू)क्रेंद्रीय ट्रांसिमशन संस्था (सीटीयू) (अथवा सोलर पावर पार्क विकासक से, यदि चुना हुआ स्थान कोई सोलर पार्क हो) से पत्र प्राप्त करना, जिसमें एसटीयू सीटीयू सब-स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी की तकनीकी व्यवहार्यता की पृष्टि की गई हो। यदि परियोजना स्थल खरीदार अंतिम खरीदार से सम्बद्ध राज्य में स्थित हो, तो राज्य सरकार संयंत्र की कनेक्टिविटी एसटीयू सीटीयू सब-स्टेशन के साथ कायम करने में आवश्यक मदद करेगी।

4. बोली संरचना

4.1 **बोली पैकेजः** आकार की किफायत की दृष्टि से बोलियां एक पैकेज के रूप में तैयार की जाएंगी। पैकेज का न्यूनतम आकार 50 मे.वा. का होगा।

इसके बावजूद, भूमि की उपलब्धता और ट्रांसमिशन सुविधा पर समुचित विचार करते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी राज्यों और सोलर पार्कों से बाहर की परियोजनाओं के मामले में छोटे बोली पैकेज भी रखे जा सकते हैं। बोलीदाता को समूचे पैकेज के लिए बोली उद्धृत करनी होगी। खरीदार अधिकतम क्षमता निर्दिष्ट करने का भी चयन कर सकता है, जो आकार की किफायत, भूमि उपलब्धता, संभावित प्रतिस्पर्धा और बाजार के विकास की आवश्यकता जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध पक्षा सहित एकल बोली दाता को आवंटित की जा सकती है।

- 4.2 विद्युत रक्षर्जा के संदर्भ में बोलियां : खरीदार (क) विद्युत क्षमता (मेगावाट) अथवा (ख) ऊर्जा मात्रा (केडब्ल्यूएच या मिलियन यूनिटों अर्थात् एमयू) के संदर्भ में भी बोलियां आमंत्रित करने का चयन कर सकता है।
- 4.3 **बोली मानदंडः** विद्युत की खरीद के लिए खरीदार 'बोली मानदंड के रूप में शुल्क' अथवा 'बोली मानदंड के रूप में व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण' (वीजीएफ) का चयन कर सकता है।
- 4.3.1 बोली मानदंड के रूप में शुल्कः इस मामले में बोली मानदंड बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क को बनाया जाएगा। खरीदार निम्नांकित में से किसी एक तरीके को शुल्क आधारित बोली के लिए चुन सकता है: (क) 25 (पच्चीस) वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए रुपये केडब्ल्यूएच में नियत शुल्क अथवा (ख) नियत रुपये केडब्ल्यूएच में वार्षिक बढ़ोतरी की पूर्व निर्धारित मात्रा के साथ और तय वर्षों की संख्या जिनमें नियत वृद्धि प्रदान की जाएगी के आधार पर रुपये केडब्ल्यूएच में बढ़ते शुल्क का चयन। खरीदार निर्दिष्ट करेगा कि बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क समुचित आयोग द्वारा अधिसूचित ग्रिड-कनेक्टिड सोलर पीवी पावर प्लांटों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं हो सकता। बशर्ते आयोग ने उस वित्त वर्ष के लिए ऐसा शुल्क निर्धारित किया हो, जिसके दौरान बोलियां आमंत्रित की गईं। खरीदार आरएफएस में सौर विद्युत उत्पादकों के लिए उपलब्ध उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) अथवा ऐसे अन्य प्रोत्साहनों को उजागर कर सकता है।
- 4.3.2 बोली मानदंड के रूप में वीजीएफ: इसके अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था शामिल है, जिसमें सौर विद्युत उत्पादक को वित्तीय सहायता के साथ एक पूर्व निर्धारित शुल्क प्रस्तावित किया जाता है, ताकि सौर विद्युत उत्पादक शुल्क की उस दर पर विद्युत आपूर्ति कर सके। वीजीएफ आधारित बोली के लिए, खरीदार आरएफएस जारी करने से पहले निम्नांकित बातें निर्दिष्ट करेगाः (क) पीपीए की अवधि के लिए चुने हुए सौर विद्युत उत्पादकों देय पूर्व निर्धारित शुल्क और सौर विद्युत उत्पादक(कों) के लिए

¹ कम्पनी के संबंध में सम्बद्ध पक्ष का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति, जो उस कम्पनी को नियंत्रित करता हो, उसके द्वारा नियंत्रित हो, अथवा उसके संयुक्त नियंत्रण में हो। यहां 'नियंत्रण' का अर्थ है, ऐसी कम्पनी के 50 प्रतिशत से अधिक वोटिंग शेयर प्रत्यक्ष या परोक्ष 'स्वामित्व' रूप से धारण करना अथवा बहुसंख्यक निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार रखना।

व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (वीजीएफ) की अधिकतम राशि। बोलीदाताओं को उनके द्वारा अपेक्षित वीजीएफ सहायता उद्धृत करते हुए अपनी बोलियां जमा करानी होंगी। जो बोलीदाता वीजीएफ सहायता प्राप्त करने के इच्छुक न हों, वे डिस्काउंट युक्त टैरिफ, यानी खरीदार द्वारा प्रस्तावित पूर्व-निर्धारित शुल्क से कम शुल्क, उद्धृत कर सकते हैं। खरीदार को आरएफएस और परियोजना अनुबंधों में एक उपयुक्त वीजीएफ सुरक्षा व्यवस्था निर्दिष्ट करनी होगी, तािक परियोजना विकसित न होने और श्या समझौते के अनुसार परियोजना संचािलत न हो पाने की स्थिति में ऋणदाता की अपेक्षाओं के संदर्भ में बाजार पद्धतियों के साथ संतुलन कायम करते हुए वीजीएफ संवितरित करने वाली एजेंसी द्वारा वीजीएफ रािश की वसूली हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान किया जा सके।

विद्युत खरीद समझौता

सफल बोलीदाता के साथ हस्ताक्षर किए जाने के लिए प्रस्तावित पीपीए का मसौदा और पीएसए का मसौदा (यदि लागू हो) आरएफएस के साथ जारी किया जाएगा। पीपीए के हिस्से के रूप में शामिल किए जाने वाले मानक प्रावधानों में अन्य बातों के अलावा निम्नांकित शामिल हैं, जिनके लिए, अन्यथा निर्दिष्ट न होने की स्थिति में, पीएसए में एक के बाद एक प्रावधान किया जाएगाः

- 5.1 पीपीए अवधिः पीपीए की अवधि शुल्क को प्रभावित करती है, चूंकि इससे उस अवधि का निर्धारण होता है, जिसमें निवेशक एसपीडी की निवेश राशि उसे वापस मिलती है। ऐसे में कम शुल्क के लिए लम्बी अवधि के पीपीए को वरीयता दी जाती है। इस प्रकार पीपीए अवधि उत्पादन की निर्धारित तारीख (एससीडी) से 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीपीए अवधि समाप्त होने के बाद सौर विद्युत उत्पादक अपने संयंत्र संचालित करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, बशर्ते भूमि आदि ढांचे का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों, सम्बद्ध ट्रांसिमशन संस्थाओं और सिस्टम आपरेटरों के साथ तत्संबंधी समझौता हो। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि खरीदार द्वारा परियोजना स्थल सोलर पार्क में अथवा अन्यत्र निर्दिष्ट किए जाने की स्थिति में खंड 3.2.1 और 3.2.2 के अनुसार खरीदार का भूमि की व्यवस्था करने का दायित्व पीपीए की अवधि तक सीमित रहता है।
- 5.2 **खरीदी जाने वाली विद्युत Æर्जा की मात्राः** विद्युत की खरीद विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में अथवा ऊर्जा के संदर्भ में (केडब्ल्यूएच या मिलियन यूनिट अर्थात् एमयू), निर्धारित की जा सकती है।

5.2.1 विद्युत के संदर्भ में खरीद (मेगावाट) :

- क) यदि खरीद विद्युत (मेगावाट) के संदर्भ में की जाती है, तो क्षमता उपयोग घटक (सीयूएफ) की श्रेणी का उल्लेख बोली दस्तावेज में करना होगा। सीयूएफ की गणना वार्षिक आधार पर होगी। यदि परियोजना से न्यूनतम सीयूएफ के समनुरूप से कम ऊर्जा उत्पादित और सप्लाई की जाती है, तो सौर विद्युत उत्पादक अनुबंधित सीयूएफ स्तर से कम विद्युत उपलब्धता के कारण खरीदार को जुर्माना अदा करेगा। ऐसे जुर्माने की राशि पीपीए की शर्तों के अनुसार तय होगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पीपीए के अंतर्गत कम उत्पादन और कम विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में खरीदार को समस्त लागत समायोजित हो सकें। परंतु, ऊर्जा के संदर्भ में पीपीए के शुल्क पर परिगणित इस कमी की न्यूनतम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) लागत समायोजित की जाएगी।
- ख) यदि उपलब्धता अधिकतम निर्दिष्ट सीयूएफ से अधिक होगी, तो सौर विद्युत उत्पादक उसे किसी अन्य संस्था को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, परंतु, खरीद से मना करने का प्रथम अधिकार खरीदारों को होगा। यदि खरीदार अधिशेष उत्पादन को खरीदते हैं, तो वे उसे पीपीए शुल्क के 75 प्रतिशत (पचहत्तर प्रतिशत) पर खरीदेंगे और इस आशय का प्रावधान आरएफएस द्स्तावेज में स्पष्ट रूप से किया जाएगा।
- 5.2.2 ऊर्जा के संदर्भ में खरीदः ऊर्जा (केडब्ल्यूएच या मिलियन यूनिट अर्थात् एमयू) में खरीद के मामले में, और विद्युत (मेगावाट) के मामले में नहीं, संयंत्र की अनुमत क्षमता का उल्लेख मेगावाट (एसी) के संदर्भ में खरीदार द्वारा आरएफएस में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। खरीदार एक न्यूनतम आपूर्ति दायित्व सिहत अनुबंधित ऊर्जा मात्रा (सीईक्यू) भी निर्दिष्ट करेगा, जिससे कम आपूर्ति होने पर विकासक को खरीदार को क्षतिपूर्ति करनी होगी और एक गारंटीकृत ऊर्जा समायोजन का भी उल्लेख उसमें होगा, जिसके तहत खरीदार विकासक द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई समस्त ऊर्जा खरीदने के लिए बाध्य होगा। अधिशेष उत्पादन होने की स्थिति में उसका निपटारा खंड 5.2.1 (ख) में वर्णित अनुसार किया जाएगा।

- 5.2.3 पुनर्विद्युतः सौर ऊर्जा उत्पादक पीपीए अवधि के दौरान समय समय पर अपने संयंत्रों को पुनर्विद्युत प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगे। परंतु, खरीदार का दायित्व केवल पीपीए में निर्दिष्ट सीयूएफ (अथवा सीईक्यू, जो भी प्रासंगिक हो) की रेंज तक विद्युत खरीदने का होगा। अधिशेष उत्पादन होने की स्थिति में उसका निपटारा इन दिशा निर्देशों के खंड 5.2.1 (ख) में वर्णित अनुसार किया जाएगा।
- 5.3 **भुगतान सुरक्षाः** खरीदार नीचे निर्दिष्ट अनुसार भुगतान सुरक्षा के समुचित उपाय करेगा।
- 5.3.1 परिदृश्य एकः सौर विद्युत उत्पादक से खरीदार द्वारा सीधे खरीदः खरीदार सौर विद्युत उत्पादक को निम्नांकित के जरिए भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगाः
- क) विचारणीय परियोजना से कम से कम एक महीने की औसत बिलिंग राशि के लिए **रिवालिंवंग लेटर आफ क्रेडिट (एलसी)** की व्यवस्था होगी, और
- ख) भुगतान सुरक्षा निधि, जो ऐसी निधि से सम्बद्ध सभी परियोजनाओं की कम से कम तीन महीने के बिलों के भुगतान के लिए उपयुक्त सहायता राशि होगी।
- ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अतिरिक्त, खरीदार राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने का विकल्प भी चुन सकता है, जो कानूनी रूप में प्रवर्तनीय होगी और सौर विद्युत विकासक के लिए ऊर्जा प्रभार के भुगतान और टर्मिनेशन मुआवजा, यदि कोई हो, दोनों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
- 5.3.2 परिदृश्य 2: मध्यस्थ-खरीदार सौर विद्युत उत्पादकों से बिजली खरीदता है और उसे अंतिम खरीदार को बेचता है।
- क) मध्यस्थ खरीदार द्वारा सौर विद्युत उत्पादक को दी जाने वाली भुगतान सुरक्षाः

मध्यस्थ खरीदार सौर विद्युत उत्पादक को निम्नांकित के जरिए भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

 विचारणीय परियोजना से कम से कम एक महीने की औसत बिलिंग राशि के लिए रिवाल्विंग लेटर आफ क्रेडिट (एलसी) की व्यवस्था होगी,

और;

- ii. और; भुगतान सुरक्षा निधि, जो ऐसी निधि से सम्बद्ध सभी परियोजनाओं की कम से कम तीन महीने के बिलों के भुगतान के लिए उपयुक्त सहायता राशि होगी।
- ख) अंतिम खरीदार द्वारा मध्यस्थ खरीदार को भुगतान सुरक्षाः

अंतिम खरीदार मध्यस्थ खरीदार को निम्नांकित के ज़रिए भुगतान सुरक्षा प्रदान करेगा:

i. विचारणीय परियोजना से कम से कम एक महीने की औसत बिलिंग राशि के लिए **रिवालिंवंग लेटर आफ क्रेडिट** (एलसी) की व्यवस्था होगी;

और.

- ii. राज्य सरकार की गारंटी, जो कानूनी रूप में प्रवर्तनीय होगी, जिससे ऊर्जा शुल्क भुगतान और टर्मिनेशन क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, दोनों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। [इस खंड के प्रयोजन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित तृतीय पक्ष समझौता राज्य सरकार की गारंटी के रूप में काम करेगा, जो ऊर्जा प्रभार के भुगतान के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा]. मध्यस्थ खरीदार यह सुनिश्चित करेगा कि यह गारंटी लागू होने पर, वह उसे तत्काल सौर विद्युत उत्पादक को हस्तांतरित करेगा, तािक पीपीए के संदर्भ में सौर विद्युत उत्पादक के देय भुगतान को कवर किया जा सके।
- iii. उपरोक्त i) और ii) के अतिरिक्त, अंतिम खरीदार भी **भुगतान सुरक्षा निधि** का विकल्प चुन सकता है, जो ऐसी निधि से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए कम से कम 3 (तीन) महीने के बिलों की भुगतान सुरक्षा के लिए उपयुक्त होगी।

- एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार की गारंटी का उपयोग तभी किया जायेगा जब मध्यस्थ खरीदार पीपीए के तहत लेटर ऑफ क्रेडिट और भुगतान सुरक्षा निधि, यदि कोई हो, के माध्यम से अपनी देय राशि की वसूली में असमर्थ हो।
- 5.4 अप्रत्याशित घटनाएं : पीपीए में अप्रत्याशित घटनाओं (फॉर्स मोश्युर) के लिए प्रावधान किया जाएगा। इनमें अप्रत्याशित घटनाओं की परिभाषा, तत्संबंधी अपवाद, उनकी प्रयोज्यता और ऐसी घटनाएं होने की स्थिति में उद्योग मानदंड के अनुसार उपलब्ध राहत संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- 5.5 **ऑफटेक संबंधी बाधाओं के लिए उत्पादन क्षतिपूर्ति** : ट्रांसमिशन ढांचा ∕ग्रिड उपलब्ध न होने के कारण अथवा किसी बैकडाउन की स्थिति में खरीदार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्युत ऑफटेक करने में बाधाएं आ सकती हैं।
- 5.5.1 ट्रांसमिशन ढांचा रिग्रेड अनुपलब्धता के कारण ऑफटेक में रूकावटें:
- क) ट्रांसिमशन ढांचा पूरा न होने सैयार न होने के कारण बिजली के ऑफटेक में आने वाली रूकावटों (ट्रांसिमशन बाधाओं) के लिए उत्पादन क्षितिपूर्ति : संयंत्र चालू होने की निर्धारित तारीख के बाद यदि विद्युत आपूर्ति ट्रांसिमशन के लिए ढांचा तैयार न होने और उसमें सौर विद्युत उत्पादक का कोई दोष न होने की स्थिति में ऑफटेक बाधाओं के लिए उत्पादन क्षितिपूर्ति निम्नांकित अनुसार की जाएगी:

पारेषण बाधाएं	उत्पादन क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान
यदि संयत्र तैयार हो परन्तु अपेक्षित विद्युत	क) 19 प्रतिशत (उन्नीस प्रतिशत) का नियामक सीयूएफ, या प्रतिबद्ध सीयूएफ, इनमें जो भी कम हो, और उन मामलों में जहां अनुबंध ऊर्जा की शर्तों पर
आपूर्ति द्रांसिमशन ढांचा उपलब्ध न हो तो ऐसे में विद्युत ऑफटेक में बाधा	अधारित हो, ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि के लिए सीईक्यू का आनुपातिक मूल्य, उत्पादन हानि की गणना के लिए लिया जायेगा।
आती है।	इस उत्पादन हानि के समनुरूप एसपीडी द्वारा परवर्ती 3 (तीन) वर्षों में एसपीडी द्वारा उत्पादित अधिशेष विद्युत खरीदार द्वारा पीपीए टैरिफ की दर पर खरीदी जाएगी, ताकि इस हानि को समायोजित किया जा सके।
	ख) यदि ट्रांसिमशन में विलम्ब के लिए ट्रांसिमशन नेटवर्क का निर्माण करने वाला संगठन सीधे-सीधे जिम्मेदार हो और उस पर कुछ पेनॉल्टी लगायी गई हो, तो उस राशि का कुछ भाग उत्पादन में हानि की क्षतिपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
	विकासकों को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था निविदा दस्तावेज में तय की जायेगी। अनुबंध वर्ष को पीपीए में परिभाषित किया जायेगा।

परन्तु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि संयंत्र एससीडी से पहले तैयार हो जाता है, लेकिन अपर्याप्त अधूरे विद्युत पारेषण ढांचे के कारण बिजली प्राप्त करने में बाधा आती है, तो ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

ख) ग्रिड अनुपलब्धता के कारण खरीद बाधाओं के लिए उत्पादन क्षतिपूर्ति : संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधि हो सकती है, जिसमें संयंत्र से तो बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन अस्थायी रूप से पारेषण न हो पाने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं होती, जिसके लिए सौर विद्युत उत्पादक का कोई दोष नहीं होता है। ऐसे मामलों में उत्पादन क्षतिपूर्ति खरीदार द्वारा निम्नांकित रूप में समायोजित की जायेगी:

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	उत्पादन क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान
पीपीए में परिभाषित अनुसार किसी अनुबंध वर्ष में ग्रिड अनुपलब्धताः (केवल पूर्वाह्न 8 बजे से शाम 6 बजे तक की अविध की गणना की जाती है):	उत्पादन हानि = [(अनुबंध वर्ष के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन) x (अनुबंध वर्ष के दौरान ग्रिड अनुपलब्धता के घंटों की संख्या)] जिसमें, अनुबंध वर्ष के दौरान औसत उत्पादन (केडब्ल्यूएच) = अनुबंध वर्ष के दौरान कुल उत्पादन (केडब्ल्यूएच) + अनुबंध वर्ष के दौरान उत्पादन के कुल घंटे एसपीडी द्वारा इस उत्पादन हानि के समान किया गया अधिक उत्पादन खरीदार द्वारा पीपीए शुल्क दर पर खरीदा जायेगा ताकि वह आगामी 3 (तीन) अनुबंध वर्षों में इस हानि को समायोजित कर सके। अनुबंध वर्ष को पीपीए में परिभाषित किया जायेगा।

परन्तु यह उपबंधित है कि उपरोक्त खंड 5.5.1 में प्रदत्त व्यवस्था के विकल्प के रूप में, खरीदार पीपीए शुल्क के संदर्भ में खंड 5.5.1 में परिभाषित उत्पादन हानि के लिए और पीपीए में परिभाषित अनुसार किसी अनुबंध वर्ष में 50 घंटे से अधिक ग्रिड अनुपलब्धता के लिए क्षतिपूर्ति करने का चयन कर सकता है।

5.5.2 वैकडाउन के कारण ऑफटेक बाधाएं: सौर विद्युत उत्पादक और खरीदार समुचित आयोग द्वारा इस बारे में बनाए गए विनियमों के अनुसार पूर्वानुमान और शेड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) की धारा 5.2(यू) के अनुसार, भारत सरकार, सौर विद्युत परियोजनाओं के "अनिवार्य संचालन" की स्थिति को प्रोत्साहित करती है। तदनुरूप, किसी डिस्कॉम लोड डिस्पैच सेंटर (एलडीसी) द्वारा, विधिवत रूप से संचालित किसी सौर विद्युत संयंत्र को बैकडाउन का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए। ग्रिड सुरक्षा या किसी उपकरण अथवा कार्मिक की सुरक्षा या किसी अन्य ऐसी स्थित के कारण होने वाले बैक डाउन को छोड़कर, यदि बैकडाउन की ऐसी कोई आपात स्थिति पैदा होती है, तो सौर विद्युत उत्पादक खरीदार से निम्नांकित अनुसार न्यूनतम उत्पादन क्षतिपूर्ति किए जाने का पात्र होगाः—

बैकडाउन की अवधि	उत्पादन क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान
मासिक बिलिंग साइकिल के दौरान बैकडाउन के घंटे	न्यूनतम उत्पादन क्षतिपूर्ति = [(महीने के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन) x (महीने के दौरान बैकडाउन के घंटों की संख्या) x पीपीए टैरिफ] का 50 प्रतिशत
	जिसमें, माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन (केडब्ल्यूएच) = महीने के दौरान कुल उत्पादन (केडब्ल्यूएच) - महीने के दौरान उत्पादन के कुल घंटे।

उत्पादन क्षतिपूर्ति क्षेत्रीय विद्युत लेखा (आरईए) की प्राप्ति के बाद अगले महीने के विद्युत बिल के हिस्से के रूप में अदा की जाएगी। इस उत्पादन क्षतिपूर्ति पर कोई व्यापार मार्जिन लागू नहीं होगा। बैकडाउन प्रयोजनों के संदर्भ में उत्पादन क्षतिपूर्ति के निवारण के लिए संभावित शर्तों का उल्लेख आरएफएस और पीपीए में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

5.6 डिफॉल्ट की स्थिति और उसके परिणाम

सम्बद्ध पार्टियों के डिफॉल्ट की स्थिति के बारे में विस्तृत प्रावधान और उसके परिणामों का ब्यौरा एसबीडीज़ में दिया जाएगा, यह खंड सौर विद्युत उत्पादक और खरीदार (बिचौलिया खरीदार को छोड़कर) के डिफॉल्ट के संदर्भ में अनुबंधात्मक रूप में निपटने के व्यापक सिद्धांतों का वर्णन करता है।

5.6.1 उत्पादक के डिफॉल्ट होने की स्थिति और उसके परिणामः

क) सौर विद्युत उत्पादक के निर्दिष्ट अवधि के दौरान संयंत्र चालू करने में विफल रहने, अथवा पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में, अथवा पीपीए की शर्तों के विपरीत अपने किन्हीं अधिकारों या दायित्वों को किसी अन्य को सौंपने या हस्तांतरित करने, अथवा पीपीए की शर्तों से मुकर जाने, अथवा पीपीए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपने प्रोमोटरों के नियंत्रण या शेयरधारिता में कोई बदलाव करने अथवा पीपीए में वर्णित कोई अन्य भूल-चूक करने और उपरोक्त गलितयों को पीपीए में वर्णित अनुसार उपचार अवधि के दौरान उपचारित करने में विफल रहने की स्थिति में सौर विद्युत उत्पादक को डिफॉल्टर समझा जाएगा।

- ख) डिफॉल्टर होने की स्थिति में, सौर विद्युत उत्पादक को पीपीए में वर्णित अनुसार खरीदार को क्षतिपूर्ति करनी होगी। खरीदार को उक्त क्षति वसूल करने के लिए बैंक गारंटी, यदि कोई हो, को ज़ब्त करने का हक होगा, और इसका उसके द्वारा किसी अन्य कानूनी उपाय या कार्रवाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ग) उपरोक्त अनुसार क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट की स्थिति में, पीपीए में उपबंधित प्रतिस्थापन समझौते और खरीदार की सहमित के अनुसार, लेनदार को अपने प्रतिस्थापन अधिकार का इस्तेमाल करने की छूट होगी। परंतु, यिद देनदार निर्धारित अविध में डिफॉल्टर सौर विद्युत उत्पादक से प्रतिस्थापन नहीं कर पाता है, तो खरीदार पीपीए को समाप्त कर सकता है और देय ऋण के 90 प्रतिशत के समकक्ष परियोजना की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में ऋणदाता अपने रेहन (मार्टगेज) अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और परियोजना परिसम्पत्तियों का समापन कर सकता है।

5.6.2 खरीदार का डिफॉल्टर होना और उसके परिणामः

- क) यदि अन्य बातों के अलावा खरीदार मासिक और या पूरक बिलों का भुगतान निर्धारित अविध के दौरान करने में विफल रहता है, या वह पीपीए से मुकरता है, तो ऐसे में डिफाल्टर खरीदार निर्धारित अविध में पीपीए से संबंधित अपने हिस्से में किसी अन्य को सम्बद्ध बनाने सहित उसे किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे सौर विद्युत उत्पादक की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी।
- ख) यदि उक्त हस्तांतरण सौर विद्युत उत्पादक को स्वीकार्य नहीं होगा, अथवा डिफाल्टर खरीदार द्वारा निर्धारित अविध में हस्तांतरण का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, तो सौर विद्युत उत्पादक पीपीए को समाप्त कर सकता है और अपने विवेकाधिकार से डिफाल्टर खरीदार से या तो (i) देय ऋण की राशि के समकक्ष समापन क्षतिपूर्ति का भुगतान करके परियोजना की परिसम्पत्तियों और पीपीए में वर्णित अनुसार 150 प्रतिशत समायोजित इक्विटी का अधिग्रहण कर सकता है अथवा, (ii) सौर विद्युत उत्पादक डिफाल्टर से कह सकता है कि वह उसे छह महीने अथवा पीपीए की बकाया अविध के लिए, इनमें जो भी कम हो, की समकक्ष राशि का भुगतान अनुबंधात्मक क्षमता में करे। ऐसे में परियोजना की परिसम्पत्तियां सौर विद्युत उत्पादक द्वारा रखी जाएंगी।

पीपीए के समापन की स्थिति में संयंत्र की कनेक्टिविटी के लिए एसटीयू सीटीयू को देय कोई क्षति या शुल्क खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा।

5.7 कानून में बदलावः

- 5.7.1 कानून में बदलाव के कारण यदि सौर विद्युत उत्पादक को कोई वित्तीय हानि स्नाभ होता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सौर विद्युत उत्पादक उसी वित्तीय स्थिति में रहे, जिसमें कानून में बदलाव न होने की स्थिति में वह रहता, सौर विद्युत उत्पादक खरीदार अन्य पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने के हकदार होंगे, जो भी स्थिति हो, परंतु, इसमें शर्त यह होगी कि क्षतिपूर्ति भुगतान की मात्रा और विधि का निर्धारण समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा और वह उस तारीख से प्रभावी होगी, जो समुचित आयोग तय करेगा।
- 5.7.2 इन दिशा-निर्देशों में, कानून में बदलाव बोली जमा कराने की अंतिम तारीख के बाद निम्नांकित घटनाओं में से किसी एक घटना के होने से सम्बद्ध होगा, अर्थात् (i) किसी नए कानून का अधिनियमन; अथवा (ii) किसी प्रचिलत कानून में संशोधन, परिवर्तन या निरसन; अथवा (iii) कोई नई सहमित, परिमट या लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता; अथवा (iv) कोई सहमित, परिमट या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रचिलत शर्तों में कोई बदलाव, जिसमें सौर विद्युत उत्पादक का कोई डिफॉल्ट न हो; अथवा (v) ऐसे करों की दरों में कोई बदलाव, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव परियोजना पर पड़ता हो। परंतु, कॉर्पोरेट आय पर करों में परिवर्तन अथवा आय या लाभांश पर विद्होलिंडंग कर में किसी परिवर्तन को कानून में परिवर्तन नहीं समझा जाएगा।

6. बोली प्रक्रिया

- 6.1 खरीदार एकल चरण वाली बोली प्रक्रिया अपनाते हुए बोलियां आमंत्रित करेगा, जिन्हें इलेक्ट्रोनिक मोड (ई-बिर्डिंग) के जिएए संचालित किया जाएगा। खरीदार वांछित होने पर ई-िरवर्स नीलामी प्रक्रिया भी अपना सकता है। एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड और समुचित संरक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता की विशेषताओं के साथ ई-खरीद मंचों का इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर पार्क विषयक परियोजना के मामले में, बोली प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की जानकारी खरीददार द्वारा एसपीपीडी को दी जाएगी। एसपीपीडी को बोली प्रक्रिया में सिक्रय रूप से शामिल करना होगा, इसके लिए उसे भूमि और ढांचा संबंधी सभी आवश्यक जानकारी देनी होगी और उसे बोलीदाताओं के लिए पहुंच योग्य केंद्रीकृत डेटा कक्षों में उपलब्ध कराना होगा।
- 6.2 खरीदार इन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में सोलर फोटोबोल्टेइक पॉवर प्लांट्स की संस्थापना के लिए आरएफएस में भागीदार बनने हेतु आमंत्रित करेगा।
- 6.3 आरएफएस सिहत बोली दस्तावेज और पीपीए का मसौदा इन दिशा-निर्देशों और एसबीडीज़ के सहयोग से खरीदार द्वारा तैयार किया जाएगा। यदि परियोजना किसी सोलर पार्क में स्थापित की जानी हो, तो खरीदार बोलीदाताओं को कार्यान्वयन समर्थक समझौते और भूमि संबंधी समझौतों के मसौदों तक एक्सेस प्रदान करेगा।
- 6.4 खरीदार कम से कम दो राष्ट्रीय अखबारों में आरएफएस नोटिस प्रकाशित करेगा और अपनी वेबसाइट पर उसे प्रदर्शित करेगा, ताकि व्यापक प्रचार किया जा सके।
- 6.5 खरीदार संभावित बोलीदाताओं को बोली पूर्व सम्मेलन के अवसर प्रदान करेगा, और किसी भी बोलीदाता को निविदा दस्तावेज की लिखित व्याख्या प्रदान करेगा, जो अन्य बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी सम्बद्ध पार्टियां पूरी तरह लिखित पत्राचार पर निर्भर करेंगी। बोली दस्तावेज में कोई स्पष्टीकरण या संशोधन समुचित जानकारी के लिए खरीदार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेज में कोई संशोधन या परिवर्तन किए जाने की स्थिति में, बोलीदाताओं को बोलियां जमा कराने के लिए ऐसे संशोधन की तारीख से कम से कम 7 दिन का समय दिया जाएगा।

7. आरएफएस दस्तावेज

खरीदार द्वारा आरएफएस में प्रदान किए जाने वाले मानक प्रावधानों में निम्नांकित शामिल होंगेः

7.1 बोली उत्तरदायित्व

बोली का मूल्यांकन तभी किया जाएगा, जब वह उत्तरदायित्वपूर्ण हो और अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हो:—

- बोलीदाता अथवा उसका कोई भी सम्बद्ध पक्ष जानबूझ कर किसी ऋणदाता का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- बोलीदाता अथवा उसके किसी सम्बद्ध पक्ष के खिलाफ कोई बड़ा मुकदमा बकाया या आशंकित नहीं होना चाहिए, जिसका स्वरूप ऐसा हो, जो बोलीदाता द्वारा परियोजना प्रारंभ करने की उसकी योग्यता या उपयुक्तता के प्रति संदेह पैदा करता हो।

7.2 बोलीदाता द्वारा पूरी की जाने वाली योग्यता संबंधी अपेक्षाएं :

7.2.1 तकनीकी मानदंड:

सरकार संवर्धित भागीदारी के जरिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहती है। परंतु, परियोजनाओं का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खरीदार बोलीदाताओं के साथ अपने अतीत के अनुभव सिहत निर्दिष्ट तकनीकी मानदंड का चयन कर सकता है। ऐसे परियोजना विकासकों, जिनके द्वारा मानदंड पूरे किए जाने की संभावना हो, की संख्या के मूल्यांकन के बाद ऐसे मानदंड तय किए जाने चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा का समुचित स्तर हासिल किया जा सके।

7.2.2 वित्तीय मानदंड

क) निवल मालियत:

 खरीदार योग्यता संबंधी अपेक्षा के हिस्से के रूप में निवल मालियत के रूप में वित्तीय मानदंड निर्दिष्ट करेगा। सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली आमंत्रित किए जाने के वर्ष में निवल मालियत सीईआरसी बेंचमार्क पूंजी लागत अथवा अनुमानित परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत होनी चाहिए।

- ii. उपरोक्त प्रयोजन के लिए विचारित निवल मालियत बोलीदाता कम्पनी या कंसोर्टियम की संचयी निवल मालियत होगी, जिसमें बोलीदाता(ओं) के उन सम्बद्ध पक्षों की निवल मालियत भी शामिल मानी जाएगी, जो अपेक्षित इक्विटी फंर्डिंग में अंशदान करने के प्रति वचनबद्ध हों और बोलीदाता(ओं) के विफल रहने की स्थिति में आरएफएस के अनुसार बैंक गारंटी दे सकते हों।
- iii. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के लिए विचारित निवल मालियत कम्पनी अधिनियम के अनुसार परिगणित समग्र निवल मालियत होगी।

ख) लिक्विडिटीः

यह अनिवार्य है कि बोलीदाता के पास पर्याप्त नकदी प्रवाह आंतरिक संभूतियां कोई बैंक गारंटी होनी चाहिए, तािक वह परियोजना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था कर सके। तदनुरूप, खरीदार उपयुक्त मानदंड का वर्णन कर सकता है, जैसे वार्षिक कारोबार, आंतरिक संसाधन सुजन, बैंक जमा रािशयां ऋण व्यवस्था, बोली क्षमता, आदि।

7.3 जमा की जाने वाली अग्रिम राशि (ईएमडी):

बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी के रूप में अग्रिम राशि (ईएमडी) की निर्धारित मात्रा जमा करानी होगी। सौर विद्युत उत्पादक द्वारा निर्धारित अविध के दौरान पीपीए पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में अग्रिम राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

7.4 विदेशी बोलीदाताओं द्वारा एफडीआई कानूनों का अनुपालन

यदि किसी विदेशी कम्पनी को सफल बोलीदाता के रूप में चुना जाता है, तो उसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी कानूनों और प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

8. बोली जमा कराना और उनका मूल्यांकन

- 8.1 बोलीदाताओं द्वारा कंसोर्टियम के गठन की अनुमित दी जाएगी, जिसके अंतर्गत कंसोर्टियम एक प्रमुख सदस्य की पहचान करेगा, जो बोली प्रक्रिया के दौरान समस्त पत्राचार के लिए एक सम्पर्क बिंदु के रूप में काम करेगा। खरीदार कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के लिए तकनीकी और वित्तीय मानदंड और लॉक-इन अविध निर्दिष्ट कर सकता है।
- 8.2 खरीदार बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक समिति (मूल्यांकन समिति) का गठन करेगा, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इनमें से कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञ होना चाहिए।
- 8.3 बोलीदाताओं को आरएफएस में निर्दिष्ट अनुसार अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क और ⁄या परियोजना विकास शुल्क जमा कराना पड़ सकता है।
- 8.4 बोलीदाताओं को तकनीकी और मूल्य संबंधी अलग अलग बोलियां जमा करानी पड़ सकती हैं। बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ ईएमडी के रूप में बोली-धरोहर राशि भी जमा करानी पड़ेगी।
- 8.5 तकनीकी बोली का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि जमा कराई गई बोलियां सभी मूल्यांकन मानदंड के अनुसार आरएफएस दस्तावेज में वर्णित पात्रता मानदंड पूरे करती हैं। मूल्य संबंधी बोलियों का मूल्यांकन केवल उन्हीं बोलियों के संदर्भ में किया जाएगा, जो आरएफएस दस्तावेज में निर्धारित मुल्यांकन मानदंडों को पूरा करती होंगी।
- 8.6 प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्वालिफाइड बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होनी चाहिए। यदि बोली के तीन प्रयासों के बाद भी क्वालिफाइड बोलीदाता दो से कम होंगे, और खरीदार इससे आगे भी बोली प्रक्रिया जारी रखने का इच्छुक होगा, तो वह समुचित आयोग की सहमति से ऐसा कर सकता है।
- 8.7 टेंडर की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में मूल्य संबंधी बोली रद्द कर दी जाएगी। इस स्तर पर आमतौर पर बोलीदाताओं के स्पष्टीकरण संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8.8 बोलियों के मुल्यांकन के लिए खरीदार द्वारा अपनाई जाने वाली बोली मुल्यांकन पद्धतिः
- 8.8.1 इन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में खरीददारों द्वारा अपनाए गए शुल्क ढांचे पर आधारित बोली व्यवस्था निम्नांकित अनुसार होगीः

- क) **शुल्क को मानदंड में शामिल किए जाने के मामले में** बोलियों की तुलना आरएफएस में निर्दिष्ट बोली मानदंड अर्थात् नियत शुल्क अथवा प्रथम वर्ष के शुल्क के आधार पर की जाएगी। बोलीदाताओं की वरीयता "न्यूनतम शुल्क" उद्धृत करने वाले बोलीदाता से प्रारंभ होगी।
- ख) वीजीएफ को मानदंड के रूप में शामिल करते हुए बोलियों का मूल्यांकन उद्धृत वीजीएफ सहायता के आधार पर किया जाएगा। बोलीदाताओं को भारतीय रुपये में एकल सकारात्मक संख्या उद्धृत करते हुए बोली लगानी होगी। बोलीदाता नकारात्मक वीजीएफ उद्धृत नहीं कर सकते। शून्य वीजीएफ उद्धृत करने वाले बोलीदाता डिस्काउंटिड शुल्क प्रस्तावित करते हुए, खरीदार द्वारा प्रस्तावित पूर्व निर्धारित से कम दर पर अपनी बोली जमा करा सकते हैं। बोलीदाताओं की वरीयता "सबसे कम शुल्क" उद्धृत करने वाले बोलीदाता से प्रारंभ की जाएगी और "अधिकतम वीजीएफ" (एच 1) उद्धृत करने वाले तक जाएगी।
- 8.9 बोली के मूल्यांकन और बोलीदाता के चयन के बारे में विस्तृत प्रक्रिया आरएफएस दस्तावेज में निर्धारित की जाएगी।

9. बोली प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट समय सारिणी

- 9.1 आरएफएस दस्तावेज जारी करने और बोली जमा कराने की अंतिम तारीख के बीच बोली प्रक्रिया की न्यूनतम अविध 30 दिन होगी। बोली प्रक्रिया के लिए संकेतात्मक समयसारिणी संलग्नक-1 में दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में बोली प्रक्रिया 120 दिन की अविध में पूरी होने की संभावना होती है।
- 9.2 खरीदार संलग्नक-1 में वर्णित समय सीमा का विस्तार कर सकते हैं और इसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा।

10. ठेका देना और कार्य पूरा करना

- 10.1 बोली लगाने में सफल रहे ठेकेदार मिरियोजना कंपनी या बोली लगाने के लिए गठित विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर दस्तखत किये जाएंगे.
- 10.2 बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरएफएस बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित मूल्यांकन समिति बोलियों की आलोचनात्मक समीक्षा करेगी इस बात के औचित्य का प्रमाणपत्र देगी कि बोली की प्रक्रिया और मूल्यांकन का कार्य आरएफएस (चयन हेतु अनुरोध) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है.
- 10.3 पारदर्शिता के लिए खरीदार पीपीए पर अमल के बाद बोली लगाने में सफल रहे बोलीदाता (ओं) के नाम(मों), उनके द्वारा लगाई गई बोली में बताए गये शुल्क और उसके विभिन्न घटकों के ब्यौरे, अगर कोई हो तो उसका सार्वजनिक रूप से एलान करेगा. सार्वजनिक रूप से यह घोषणा खरीदार के वेबसाइट पर वांछित विवरण को पोस्ट करके 30 (तीस) दिन तक उसका प्रदर्शन करके किया जाएगा.
- 10.4 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वितरण लाइसेंस हासिल करने वाला या मध्यस्थ खरीदार, जो भी स्थिति हो, अधिनियम के अनुच्छेद 63 के अनुसार उपयुक्त आयोग से शुल्क दरों को मंजूरी दिलवाने के लिए आयोग से अनुरोध करेगा.

11. बैंक गारंटी

सौर ऊर्जा उत्पादक खरीदार को आरएफएस और पीपीए की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित बैंक गारंटियां देगा:

- 11.1 जमा की गयी अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का निर्धारण खरीदार द्वारा किया जाएगा (जो बोली आमंत्रण वाले वित्त वर्ष के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित सोलर फोटो वोल्टैक बिजली परियोजना की लागत या अनुमानित परियोजना लागत के दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा). अग्रिम धनराशि बैंक गारंटी के रूप में आरएफएस (स्वीकृति के अनुरोध) के उत्तर के साथ प्रस्तुत की जाएगी.
- 11.2 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का निर्धारण खरीदार द्वारा पीपीए प्रस्तुत करते समय किया जाएगा [लेकिन यह खरीदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए. अन्य उपायों के अलावा सोलर पावर जनरेटर को विद्युत खरीद समझौते की शर्तों में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने देयताएं उत्पन्न होने पर पीबीजी

का नकदीकरण किया जा सकेगा. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थ खरीदार द्वारा पीपीए की शर्तों के अनुसार सोलर पावर जनरेटर में किसी प्रकार की चूक होने पर पीबीजी के नकदीकरण के जरिए क्षतिपूर्ति द्वेययताएं वसूले जाने की स्थिति में क्षति देयता पीएसए की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ खरीदार द्वारा आखिरी खरीदार को अंतरित कर दी जाएगी.

12. वित्तीय समाप्ति

सौर ऊर्जा जनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख के 7 (सात) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा.

ऐसा न होने पर खरीदार पीबीजी का नकदीकरण करा सकता है बशर्ते देरी का कारण अनुच्छेद 3.2.1 और अनुच्छेद 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीदार को जमीन के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर उत्पादक के कृत्य श्रकृत्य जैसे किसी अपरिहार्य कारण से. लेकिन वित्तीय समापन के लिए खरीदार को और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जनरेटर पीपीए में निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे. इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया गया होगा वह एससीडी की अविध में सोलर पावर जनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा.

13. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी का प्रोमोटर द्वारा रखा जाना

- 13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनश्चित करना होगा कि एसपीवी प्रीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से एक साल पहले खरीदार की पूर्वानुमित कि बिना किसी भी समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे. अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी प्रीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सापूंजी खरीदार की पूर्वानुमित के बिना सीओडी से एक साल पहले किसी भी वक्त 51 प्रतिशत से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए. लेकिन अगर सफल बोलीदाता स्वयं ही पीपीए कर रहा हो तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रोमोटर सीओडी से एक साल पहले तक खरीदार की अनुमित के बिना कंपनी पर अपना नियंत्रण² खत्म न होने दें. ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रोमोटरों और उनकी हिस्सापूंजी के बारे में खरीदार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सुचनाएं उपलब्ध करा दे.
- 13.2 सीओडी से एक साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सापूंजी में कोई भी बदलाव खरीदार को सूचना देकर किया जा सकता है.
- 13.3 अगर सोलर पावर जनरेटर ने किसी ऋणदाता(ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि वह खरीदार की सहमति से 'प्रोमोटर बदल' सके.

14. चालू करना

14.1 आंशिक रूप से चालू करना

खरीदार को परियोजना का आंशिक रूप से चालू होना इस शर्त के साथ स्वीकार्य होगा कि पहली बार और दूसरी बार में चालू होने वाली न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होगी और इससे पीपीए में चालू नहीं हुए हिस्से किसी तरह के जुर्माने की के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. लेकिन आंशिक रूप से चालू होने की वजह से एससीडी में फेरबदल नहीं होगा. आंशिक रूप से चालू होने या पूर्ण रूप में चालू होने की तारीखें चाहे जो भी हों, पीपीए एससीडी से 25 (पच्चीस) साल के लिए लागू रहेगा.

14.2 समय पूर्व चालू होना

सोलर पावर जनरेटर को एससीडी से भी पहले परियोजना को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चालू करने की इजाजत होगी. पूर्व आंशिक कमिशनिंग के मामलों में, एससीडी तक खरीदार उत्पादन को एससीडी तक के लिए पीपीए में निर्धारित शुल्क के 75%

²'नियंत्रण' शब्द का अर्थ है स्वामित्व, ऐसी कंपनी के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व, अथवा बहुसंख्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार।

(पचहत्तर प्रतिशत) की दर से खरीद सकता है. लेकिन अगर एससीडी से पहले ही परियोजना समूची क्षमता चालू हो जाए तो खरीदार पीपीए में दी गयी दरों से खरीद सकता है.

14.3 चालू होने की समय सारिणी

परियोजनाएं पीपीए के निष्पादन की तारीख से 13 महीनों की अविध में चालू होंगी. लेकिन 250 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं अगर सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही हों तो पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15 महीनों की अविध में चालू हो जाना चाहिए. चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जनरेटर पर पीपीए में निर्धारित समय-सारणी के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा. अगर सोलर पावर जनरेटर के लिए खरीदार द्वारा चुने गये स्थान के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्वनिधारित निष्पादन तारीख भी तदनुसार आगे बढ़ जाएगा, बशर्ते परियोजना पूरी करने की समयाविध में विस्तार एक साल के लिए होगा. विस्तारित अविध अनुच्छेद 3.2.1 (ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख के बीत जाने के बाद से मानी जाएगी.

15. वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी)

वाणिज्यिक संचालन की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन परियोजना या उसके आखिरी चरण के पूरी क्षमता से सफलतापूर्वक चालू हो जाने पर उसे प्रवर्तन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.

16. ट्रांसमिशन संपर्क

- 16.1 सौर विद्यु संयंत्र को अंतर-संपर्क को ध्यान में रखकर इस तरह से डिजायन किया जाएगा कि यह (क) पूलिंग सब-स्टेशन से जुड़ जाए जहां एसटीयू सीटीयू सब-स्टेशन से पहले अन्य परियोजनाओं का भी संपर्क कायम होता है; या (ख) एसटीयू सीटीयू सब-स्टेशन के साथ समर्पित ट्रांसमिशन लाइन के जरिए उपयुक्त वोल्टेज स्तर पर सीधा संपर्क, जैसा कि खरीदार द्वारा निर्दिष्ट है. बोली लगाने संबंधी दस्तावेज में संबद्ध सब-स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी संगठन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. कार्यान्वयन व्यवस्था और निकासी प्रणाली के डिजायन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों और एसटीयू सीटीयू से पहले के सब-स्टेशनों की पूंजी लागत का भुगतान या तो सौर विद्युत उत्पादक द्वारा सीधे कर दिया जाएगा या एसपीपीडी अथवा किसी दूसरी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा. इसकी वसूली सौर विद्युत उत्पादक से सीधे तौर पर एकमुश्त या कई वर्षों की किश्तों में की जाएगी.
- 16.2 जिन मामलों में खरीदार द्वारा परियोजना स्थल विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उनमें एसटीयू सीटीयू के स्वामित्व वाली ट्रोसमिशन प्रणली के साथ ट्रांसमिशन संपर्क और पहुंच कायम करने की जिम्मेदारी सौर विद्युत उत्पादक की होगी और यह कार्य सौर विद्युत उत्पादक के खर्च पर होगा.
- 16.3 जिन मामलों में खरीदार द्वारा निर्दिष्ट परियोजना स्थल कोई सोलर पार्क नहीं है वहां खरीदार ट्रांसमिशन संपर्क और पहुंच की सुविधा कायम करने की जिम्मेदारी और लागत सौर विद्युत उत्पादक द्वारा उठायी जाएगी.
- 16.4 जिन मामलों में खरीदार परियोजना लगाने के लिए किसी सोलर पार्क का उल्लेख करता है सीटीयू,एसटीयू द्वारा परियोजना को शुरू करने में विलंब के लिए किसी कानून या निमय के तहत लगाया जाने वाला जुर्माना, दंड और शुल्क उस सीमा तक सौर विद्युत उत्पादक द्वारा देय होगा जहां तक देरी की वजह सौर विद्युत उत्पादक हो और बाकी खरीदार को देना होगा.
- 16.5 मीटरिंग प्वाइंट वह स्थान है जहां पर खरीदार को सप्लाई की जाने वाली बिजली का मापन किया जाएगा. यह स्थान एसटीयू,सीटीयू सब-स्टेशन का लो वोल्टेज बस बार होगा. सोलर पार्क के मामले में मीटरिंग प्वाइंट फाइनल इवेकुएशन वाला एसटीयू,सीटीयू सब-स्टेशन होगा जिसके साथ तमाम पूलिंग सब-स्टेशनों का इंटरनल ट्रांसिमशन जुड़ा रहेगा. परियोजना और मीटरिंग प्वाइंट के बीच ह्वीलिंग चार्जेज और नुकसान समेत तमाम खर्च सौर ऊर्जा उत्पादक उठाएगा और खरीदार इसके लिए किसी तरह कर प्रतिपूर्ति नहीं करेगा. ह्वीलिंग चार्जेज और नुकसान समेत मीटरिंग प्वाइंट से आगे के ट्रांसिमशन और विरण जैसे तमाम खर्चों का भुगतान खरीदार करेगा. सीटीयू,एसटीयू द्वारा खर्चों को उनकी क्षमता के अनुपात में या बुनियादी ढांचे का साझा उपयोग करते हुए परियोजना के मानकीय उत्पादन के अनुसार सीधे परियोजना के बिलों में शामिल किये जाने की

व्यवस्था की जाएगी. या फिर एसपीपीडी के पक्ष में बिल बनाया जाएगा जो इसकी सीधी वसूली खरीदार या सौर ऊर्जा उत्पादक से करेगा जिसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादक खरीदार से प्रतिपूर्त प्राप्त कर सकता है.

17. तकनीकी विनिर्देश

परियोजनाओं को पूरा करने और टेक्नोलाजी संबंधी जोखिमों को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खरीदार वाणिज्यिक रूप से सुस्थापित और कार्यरत टेक्नोलाजी को बढ़ावा देगा. सौर फोटो वोल्टैक विद्युत परियोजनाओं के विस्तृत तकनीकी मानदंड एमएनआरई में समय-समय पर बताए जाएंगे. वर्तमान मानदंड संलग्नक-II में दिये गये हैं.

18. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन

अगर इन दिशानिर्देशों और या एसबीडीज से कोई विचलन हो तो उसके लिए उपयुक्त आयोग की मंजूरी लेना आवश्यक होगा. उपयुक्त आयोग इसकी मंजूरी देगा या बोली दस्तावेज में एक निश्चि तसमय सीमा में संशोधन करने को कहेगा जो 90 दिन से ज्यादा नहीं होगी.

19. मध्यस्थता

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उपयुक्त आयोग ने की स्थिति में कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होने पर जिसमें किसी बदलाव या शुल्क की दरों के निर्धारण या शुल्क संबंधी कोई मामला शामिल हो, या जिससे शुल्क में आंशिक या पूर्ण रूप से बदलाव आता हो तो ऐसे विवाद का फैसला सीईआरसी द्वारा किया जाएगा. अन्य सभी विवादों का समाधान भारतीय मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंच फैसले से किया जाएगा. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उपयुक्त आयोग होने की स्थितिमें सभी विवादों का समाधान सीईआर सी द्वारा किया जाएगा या सीईआरसी उन्हें मध्यस्थता से निपटाने के लिए भेज देगा.

20. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

अगर इन दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान को लागू करने या दिशानिर्देशों की व्याख्या अथवा इनमें संशोधन में में कोई अड़चन आती है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस बात का अधिकार है कि वह विद्युत मंत्रालय के परामर्श से यह कार्य पूरा करे. इस संबंध में सभी संबद्ध पक्ष किसी भी निर्णय को मानने को बाध्य होंगे.

शालिनी प्रसाद, अपर सचिव

संलग्नक-I

संलग्नक-I: बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्रम सं.	कार्य	शुरुआत से बीता समय
1.	आरएफएस परियोजना के लिए विशिष्ट विद्युत खरीद समझौतों के मसौदे,	शून्य तारीख
	अन्य परियोजना समझौतों के मसौदे और पीएसए, अगर लागू हों तो.	
2.	बोली के बारे में स्पष्टीकरण, कान्फ्रेंस, साइट समेत परियोजना से संबंधित	**
	तमाम विशिष्ट विवरणों को साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटारूम खोलना	
	(अगर खरीदार द्वारा कहा गया हो), और आरएफएस का संशोधन	
3.	आरएफएस बोली भेजा जाना	30 दिन
4.	बोलियों का मूल्यांकन और एलओआई जारी करना	120 दिन
5.	पीपीए और पीएसए पर दस्तखत (अगर लागू हो)	150 दिन

^{**}आरएफएस दस्तावेज में किसी भी बदलाव की स्थिति में खरीदार इन दिशानिर्देशों के उपबंध 6.5 के अनुसार बोली लगाने वाले को अतिरिक्त समय देगा.

नोट : यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर खरीदार बोली लगाने की प्रक्रिया में किसी कार्य में विलंब की वजह से उसे पूरा करने के लिए किसी कार्य के लिए बोलीदाता को अतिरिक्त समय देता है तो इस अतिरिक्त समय को इन दिशानिर्देशों में किसी भी तरह का विचलन नहीं माना जाएगा.

संलग्नक-II

संलग्नक-II : ग्रिड से जुड़े सोलर पीवी विद्युत संयंत्रों की तकनीकी जरूरतें

ग्रिड से जुड़े फोटो वोल्टैक विद्युत परियोजनाओं में इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ तकनीकी उपाय निम्नलिखित हैं:

1. एसपीवी मॉड्यूल्स

1.1 ग्रिड सोलर पावर परियोजनाओं में इस्तेमाल किये जाने वाले एसपीवी माड्यूल्स को निम्नलिखित नवीनतम आईईसी पीवी माड्यूल मानदंड परीक्षणों या समकक्ष बीआईएस मानदंडों को पुरा करना चाहिए.

किस्टलाइन सिलिकोन सोलर सैल माड्यूल - आईईसी 61 21 5 थिन फिल्म माड्यूल - आईईसी 61 646 कान्संट्रेटर पीवी माड्यूल - आईईसी 621 08

1.2 इसके अलावा एसपीवी माड्यूल्स को सुरक्षा मानदंड परीक्षण में 1000 वोल्ट डीसी या इससे अधिक के लिए आईईसी
61730 को पूरा करना चाहिए. जंग लगने की अत्यधिक आशंका वाले माहौल में इस्तेमाल किये जाने वाले मॉड्यूल
को अपने समूचे कार्यकाल में आईईसी 61701 मानदंड को पूरा करना चाहिए.

2. पावर कंडीशनर हनवर्टर

एसपीवी विद्युत संयंत्रों के पावर कंडीशनर्स द्वनवर्टर्स नीचे बताये गये नवीनतम आईईसी दामतुल्य मानदंडों के अनुसार होने चाहिए :

कार्यदक्षता मापन - आईईसी 61 683

पर्यावरण परीक्षण - आईईसी 60068 -2 श्राईईसी ⁄62093

ईएम सुसंगत (ईएमसी) - आईईसी 61000-6-2, आईईसी 61000-6-4 और आईईसी

61 000 के अन्य प्रासंगिक भाग

वैद्युत सुरक्षा - आईईसी 62103/ आईईसी 62109-1 और 2

एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन - आईईई 1547 आईईसी 62116 यूएल 1741 या समतुल्य

बीआईएस मानदंड

अन्य उप प्रणालियां म्वटक

एसपीवी विद्युत संयंत्रों में उपयोग में लाई जाने वाली अन्य उप-प्रणालियों म्वटकों (केबल, कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स, सर्ज प्रोटेक्शन उपकरण आदि) को बिजली सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार होने के साथ-साथ उनमें मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं को झेलने की क्षमता तथा अपने संभावित जीवन काल में सुचारु रूप से कार्य करने में भी सक्षम होना चाहिए. यह सिफारिश की जाती है कि आउटडोर इस्तेमाल के लिए 600-1800 वोल्ट्स डीसी की केबल को 25 साल के संभावित जीवनकाल को पूरा करने के लिए बीएस ईएन 50618:2014 टिपीएफजी 1169 08.2007 के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए.

4. अधिकृत परीक्षण केन्द्र

विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल किये जाने वाले पीवी मॉड्यूल/पावर कंडीशनर्स के लिए उनकी विशेषताओं को दर्शाने वाला वैध परीक्षण प्रमाणपत्र होना चाहिए जो ऊपर बताए गये आईईसी/बीआईएस मानदंड के अनुसार होना चाहिए और भारत में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्र का होना चाहिए. पतली फिल्म और सीपीवी/उपकरण जैसे मॉड्यूल के लिए जिनके परीक्षण की सुविधाएं फिलहाल भारत में उपलब्ध होने की संभावना न होने पर आईएलएसी सदस्यता प्राप्त किसी विदेशी प्रयोगशाला का परीक्षण प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगा.

する

ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले फोटोवोल्टैक मॉड्यूल आउटपुट वाटेज के लिए गारंटीशुदा होने चाहिए जो दस साल के अंत में 90 प्रतिशत से कम और 25 साल के अंत में 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए.

6. पहचान और निशानदेही करना

सौर विद्युत परियोजना में इस्तेमाल किये जाने वाले हरएक फोटोवोल्टैक मॉड्यूल में आरएफ पहचान टैग लगा होना चाहिए. हर माड्यूल में इस्तेमाल की गयी आरएफ आईडी में निम्निलिखित सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए. (यह लैमिनेट के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है मगर इसे ऐसी जगह होना चाहिए जहां यह पर्यावरण की कठोर स्थितियों का सामना कर सके.)

- i) फोटोवोल्टैक मॉड्यूल के निर्माता का नाम
- ii) सौर सेल के निर्माता का नाम
- iii) निर्माण का महीना और साल (सौर सेल और मॉड्यूल के लिए अलग-अलग)
- iv) निर्माता देश का नाम (सौर सेल और मॉड्यूल के लिए अलग-अलग)
- v) मानक परीक्षण की स्थितियों (1000 W/m², एएम 1.5, 25°C) में माड्यल का i-v कर्व
- vi) मॉड्यूल का वाटेज, Im, Vm और FF
- vii) मॉड्यूल का यूनीक सीरियल नं. ओर मॉडल नं.
- viii) आईईसी पीवी माड्यूल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की तारीख और साल
- ix) आईईसी प्रमाणपत्र जारी करने वाली परीक्षण प्रयोगशाला का नाम
- x) सौर सैल मॉड्यूल की निशानदेही के बारे में आईएसओ 9000 के अनुसार अन्य प्रासंगिक सूचना

साइट के मालिकों को हर मॉड्यूल के लिए मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त डेटा के साथ-साथ मॉड्यूल आईडी की सूची की आसान उपलब्ध बनाए रखनी होगी.

कामकाज की निगरानी

ग्रिड से जुड़ी सभी फोटो वोल्टैक बिजली परियोजनाओं को सौर विकिरण, परिवेश के तापमान, हवा की गित और मौसम संबंधी अन्य मानदंडों के लगातार मापन के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करने चाहिए. इसके साथ ही उन्हें संयंत्र से उत्पन्न डीसी और एसी विद्युत के उत्पादन का भी मापन करना चाहिए. उन्हें विद्युत खरीद समझौते की समूची अविध में ये आंकड़े खरीदार और एमएनआरई या किसी भी अन्य निर्दिष्ट एजेंसी को ऑन लाइनऔर या रिपोर्ट के रूप में हर महीने भेजने होंगे. इस संबंध में वे खरीदार, एमएनआरई या किसी अन्य निर्दिष्ट एजेंसी को बिजली संयंत्र के पोर्टल की हर सप्ताह सातों दिन और चौबीसों घंटे रिमोट मानिटरिंग के लिए अनिवार्य रूप से पहुंच की भी अनुमित देंगे.

8. सौर फोटो वोल्टैक माड्यूल का सुरक्षित निपटान

निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्लांट में बने सोलर फोटोवोल्टैक माड्यूल अपना 'जीवन काल पूरा होने के बाद' (जब वे खराब हो जाएं/चलना बंद कर दें/उनकी मरम्मत करना मुमिकन न रहे) तो उनका निपटान सरकार द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर पुनरीक्षित व संशोधित "ई-वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग विनियम, 2011" के अनुसार किया जाए.

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd August, 2017

<u>Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for</u> <u>Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects</u>

No. 23/27/2017-R&R.—1. PREAMBLE

1.1. Background

- 1.1.1. Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 ('Act'). Power purchase costs constitute the largest cost element for distribution licensees. Competitive procurement of electricity by the distribution licensees is expected to reduce the overall cost of procurement of power and facilitate development of power markets. Internationally, competition in wholesale electricity markets has led to reduction in prices of electricity and in significant benefits for consumers.
- **1.1.2.** Section 61 & 62 of the Act provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. As per proviso of Section 61 read with Section 178(2) of the Electricity Act, 2003, the Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources Regulations, 2012 were framed by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) in February, 2012. Further, section 63 of the Act states that –

"Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government."

- **1.1.3.** Section 10 of the Electricity Act provides that a generating company may supply electricity to any licensee in accordance with the Act and rules and regulations made there under and may, subject to the regulations made under sub-section (2) of Section 42, supply electricity to any consumer.
- 1.1.4. The National Tariff Policy, 2016 formulated by the Ministry of Power, has specific guidance on purchase of power generated from renewable energy sources. As per Section 6.4(2), "States shall endeavor to procure power from renewable energy sources through competitive bidding to keep the tariff low, except from the waste to energy plants. Procurement of power by Distribution Licensee from renewable energy sources, from Solar PV Power Projects above the notified capacity, shall be done through competitive bidding process, from the date to be notified by the Central Government. However, till such notification, any such procurement of power from renewable energy sources projects, may be done under Section 62 of the Electricity Act, 2003."

1.2. Objectives

1.2.1. The specific objectives of these Guidelines are as follows:

- a) To promote competitive procurement of electricity from solar PV power plants, by distribution licensees, to protect consumer interests;
- b) To facilitate transparency and fairness in procurement processes / and to provide for a framework for an Intermediary Procurer as an Aggregator/Trader for the inter-state/intra-state sale-purchase of long-term power.
- c) To provide standardization and uniformity in processes and a risk-sharing framework between various stakeholders, involved in the solar PV power procurement, thereby encouraging investments, enhanced bankability of the Projects and profitability for the investors.

2. SCOPE OF THE GUIDELINES

2.1. Applicability of Guidelines:

2.1.1. These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of electricity by the 'Procurers', from grid-connected Solar PV Power Projects ('Projects'), having size of **5 MW and above**, through competitive bidding.

Explanation:

- a) 'Procurer': The term 'Procurer', as the context may require, shall mean the distribution licensees, or the Authorized Representative(s), or an Intermediary Procurer.
- b) 'Authorised Representative' of the Procurer: In cases, where the Power Purchase Agreement (PPA) signing agency and the agency carrying out the tendering/bidding process are different, the agency carrying out the

tendering / bidding process shall be deemed to be the Authorized Representative of the 'Procurer' and will on behalf of the Procurer be responsible for fulfilling all the obligations imposed on the 'Procurer' during the bidding phase, in accordance with these Guidelines.

c) 'Intermediary Procurer' & 'End Procurer':

- i. In some cases, an intermediary, between the distribution licensees and the generator ('Solar Power Generator'), may be required either to aggregate the solar power purchased from different Solar Power Generators and sell it to the distribution licensee, or to enhance the credit profile. In such cases, the "Procurer" would be a trader, buying power from the Solar Power Generators and selling the same to one or more distribution licensees, such distribution licensees shall be the "End Procurer" and the trader shall be "Intermediary Procurer" for the purpose of these Guidelines.
- ii. The Intermediary Procurer shall enter into a PPA with the Solar Power Generator and also enter into a Power Sale Agreement (PSA) with the End Procurer. The PSA shall contain the relevant provisions of the PPA on a back to back basis. The trading margin, as notified by the Appropriate Commission (or in the absence of such notification, as mutually decided between the Intermediary Procurer and the End Procurer), shall be payable by the End Procurer to the Intermediary Procurer.
- **iii.** In such cases, as long as the Intermediary Procurer has followed these Guidelines for procurement of solar power, the End Procurer shall be deemed to have followed these Guidelines for procurement of solar power.
- **2.1.2.** Unless explicitly specified in these Guidelines, the provisions of these Guidelines shall be binding on the Procurer/ Intermediary Procurer/ End Procurer and the Authorised Representative of the Procurer. The process to be adopted in event of any deviation proposed from these Guidelines is specified in Clause 18 of these Guidelines.

2.2. Appropriate Commission:

- **2.2.1.** Subject to the provisions of the Act:
 - a) In case of a single distribution licensee being the Procurer, the Appropriate Commission, for the purpose of these bidding Guidelines, shall be the State Electricity Regulatory Commission of the concerned State where the distribution license is located.
 - b) In case of combined procurement where the distribution licensees are located in more than one State, the Appropriate Commission for the purpose of these bidding Guidelines, shall be the Central Electricity Regulatory Commission.
 - c) For cases involving sale of power from Central Generating Stations, the Appropriate Commission shall be the Central Electricity Regulatory Commission.

3. PREPARATION FOR INVITING BID AND PROJECT PREPAREDNESS

3.1. Conditions to be met by Procurer

The Procurer shall meet the following conditions:

3.1.1. Bid Documentation:

- a) Prepare the bid documents in accordance with these Guidelines and Standard Bidding Documents (SBDs) [consisting of Model Request for Selection (RfS) Document, Model Power Purchase Agreement and Model Power Sale Agreement], notified by the Central Government, except as provided in sub clause (c) below.
- **b**) Inform the Appropriate Commission about the initiation of the bidding process.
- c) Seek approval of the Appropriate Commission for deviations, if any, in the draft RfS draft PPA, draft PSA (if applicable) from these Guidelines and/ or SBDs, in accordance with the process described in Clause 18 of these Guidelines.
 - i. However, till the time the SBDs are notified by the Central Government, for purpose of clarity, if the Procurer while preparing the draft RfS, draft PPA, draft PSA and other Project agreements provides detailed provisions that are consistent with the Guidelines, such detailing will not be considered as deviations from these Guidelines even though such details are not provided in the Guidelines.
 - ii. Further, in case of an ongoing bidding process, if the bids have already been submitted by bidders

prior to the notification of these Guidelines and/or SBDs, then if there are any deviations between these Guidelines and/or the SBDs and the proposed RfS, PPA, PSA (if applicable), the RfS, PPA and the PSA shall prevail.

- **d)** Procure the following clearances, as relevant:
 - i. In case of procurement from Projects to be located at a site to be specified by the Procurer, clearance by the relevant authority of the draft land lease or other land related agreements consistent with the draft PPA, draft PSA and other Project agreements.
 - ii. Clearance by the End Procurer of the draft RfS, PPA and PSA having details specific to the proposed procurement.
 - iii. clearance by the agency developing the Solar Park ['Solar Power Park Developer' (SPPD)] for draft Implementation Agreement, consistent with the draft PPA and the draft PSA, in case of a procurement from Projects to be located in Solar Parks specified by the Procurer.

3.1.2. Site-related Project preparatory activities including clearances:

In order to ensure timely commencement of supply of electricity being procured and to convince the bidders about the irrevocable intention of the Procurer, it is necessary that various Project preparatory activities as mentioned in Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 of these Guidelines are completed in time.

3.2. Arrangements related to site

As specified in the bidding documents to be issued by the Procurers, the Project may be set up either at the Project site specified by the Procurer, or at the Project site selected by the Solar Power Generator.

- **3.2.1. Project site specified by the Procurer**: The Procurer may choose to locate the Project at a specified site and the same may be specified by the Procurer in the bidding documents. In such cases, to ensure timely commencement of supply of electricity, the Procurer shall ensure that various Project preparatory activities as indicated below have been initiated by the Procurer before issuance of the RfS. These activities would be required to be completed prior to the PPA being executed.
 - a) Land: Identification of 100% (hundred per cent) land and provision of documents/ agreements to indicate in-principle availability of at least 25% (twenty-five per cent) of land at the initiation of bidding, and possession of 90% (ninety per cent) of land within 1 (one) months of the execution of the PPA and the balance 10% (ten per cent), within 2 (two) months thereafter.
 - b) No Objection Certificate (NOC)/ Environmental Clearance (if applicable) for the Project.
 - c) Forest Clearance (if applicable) for the land for the Project.
 - Approval for Water from the concerned authority (if applicable) required for the Project.
 - e) A letter from the STU/ CTU confirming technical feasibility of connectivity of plant to STU/ CTU substation, except for the cases where the concerned STU / CTU has notified, sub-station wise spare capacities for feasibility of connectivity.
- **3.2.2. Project site specified by the Procurer in a Solar Park:** The Procurer may choose to locate the Project in a concentrated zone characterized with proper infrastructure and access to amenities ('**Solar Park'**) and the same may be specified by the Procurer in the bidding documents. The Solar Park shall be developed as per the "Guidelines for Development of Solar Parks" issued by MNRE as amended from time to time. Notwithstanding this, to ensure timely commencement of supply of electricity, the Procurer shall ensure that various Project preparatory activities as indicated above in clause 3.2.1. (a) to (e), have been initiated and completed by the concerned SPPD as per the timelines mentioned therein. In addition to above, the responsibilities of the Solar Power Park Developer shall flow from the "Guidelines for Development of Solar Parks", developed by MNRE and Implementation Support Agreement, which defines the relationship between the Solar Power Park Developer and the Solar Power Generator.
- **3.2.3. Project site selected by the Solar Power Generator:** In case the Procurer does not specify a site or in a Solar Park and the Project site is selected by the Solar Power Generator, to ensure timely completion and commencement of supply of power, the bidder would be required to submit documents in respect of matters as mentioned below, as per the time schedule specified in the bidding documents:
 - a) Land acquisition: Identification of the 100% (hundred per cent) land at the time of bid submission and within 7 (seven) months of the execution of the PPA, submission of documents/ Lease Agreement to establish possession/ right to use 100 % (hundred per cent) of the required land in the name of the Solar Power Generator or its Affiliate. In case the land is in the name of Affiliate, the land should be

transferred in the name of Solar Power Generator prior to Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land to the lenders or Procurer, in case of default of the Solar Power Generator.

- b) No Objection Certificate (NoC)/Environmental clearance (if applicable) for the Project.
- c) Forest Clearance (if applicable) for the land for the Project.
- **d**) Approval for Water from the concerned authority (if applicable) required for the Project.
- e) A letter from State Transmission Utility (STU)/Central Transmission Utility (CTU) [or Solar Power Park Developer, in case of selected site being a solar park] confirming technical feasibility of connectivity of the plant to STU/CTU substation. If the Project site is located in the same State as the Procurer/End Procurer, State Govt. shall endeavor to provide necessary support to facilitate the connectivity of the plant to STU/CTU substation.

4. BID STRUCTURE

- **4.1. Bid Package**: The bids will be designed in terms of a package. The minimum size of a package should be 50 MW, in order to have economies of scale. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller bid packages can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States, and Projects outside Solar Parks. The bidder has to quote for an entire package. The Procurer may also choose to specify the maximum capacity that can be allotted to a single bidder including its Affiliates¹ keeping in mind factors such as economies of scale, land availability, expected competition and need for development of the market.
- **4.2. Bids in Power/Energy Terms:** The Procurer may choose to invite the bids in (a) Power Capacity (MW) terms or (b) Energy Quantity (kWh or million units i.e. MU) terms.
- **4.3. Bidding Parameters:** For procurement of electricity, the Procurer may opt for either 'Tariff as Bidding Parameter' or 'Viability Gap Funding (VGF) as Bidding Parameter'.
- **4.3.1. Tariff as the Bidding Parameter:** In this case, the bidding parameter shall be the tariff quoted by the bidder. The Procurer may select either of the following kinds of tariff based Bidding: (a) fixed tariff in Rs./kWh for 25 (twenty-five) years or more or (b) escalating tariff in Rs./kWh with pre-defined quantum of annual escalations fixed in Rs./kWh and number of years from which such fixed escalation will be provided. The Procurer shall specify that the tariff quoted by the bidder cannot be more than the tariff for grid-connected solar PV power plants, notified by the Appropriate Commission, if any, for the financial year in which the bids are invited. The Procurer may disclose in the RfS, the prevailing incentives like the Generation Based Incentive (GBI) or such other incentives, to the Solar Power Generators.
- **4.3.2. VGF** as the Bidding Parameter: It involves a mechanism wherein a pre-determined tariff is offered to the Solar Power Generator along with a financial assistance, to enable the Solar Power Generator to supply power at this tariff. For VGF based Bidding, the Procurer shall specify the following before issuance of RfS: (a) Predetermined tariff payable to the selected Solar Power Generator for the duration of the PPA and the Maximum amount of Viability Gap Funding (VGF) for the Solar Power Generator(s). The bidders shall have to submit their bids quoting the VGF support required by them. The bidders who do not want to avail the VGF support, may offer in their bids, a discounted tariff, lower than the pre-determined tariff offered by the Procurer, The Procurer is required to specify a suitable VGF safeguard mechanism in the RfS and the Project agreements, to provide a framework for the VGF disbursement agency for recovery of VGF amounts in case the Project is not developed and/or operated in accordance with the Project agreements, duly balancing market practice in terms of lender's requirements.

5. POWER PURCHASE AGREEMENT

The draft PPA proposed to be entered into with the successful bidder and draft PSA (if applicable) shall be issued along with the RfS. Standard provisions to be incorporated as part of this PPA shall include *inter alia* the following, which, unless otherwise specified herein, shall be provided for, on a back to back basis in the PSA:

5.1. PPA Period: As the PPA period influences the tariff by determining the period over which the investment is returned to the investor/SPD, longer PPA is favoured for lower tariffs. The PPA period should thus be not less than 25 (twenty-five) years from the date of the Scheduled Commissioning Date (SCD). The Solar Power

¹ **Affiliate** in relation to a Company shall mean a person who controls, is controlled by, or is under the common control with such Company. The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

Generators are free to operate their plants after the expiry of the PPA period in case the arrangements with the land and infrastructure owning agencies, the relevant transmission utilities and system operators so provide. It is hereby clarified that in cases where the Project site is specified by the Procurer to be located either in a Solar Park or otherwise, the responsibility of the Procurers to arrange for the land in terms of Clauses 3.2.1 and 3.2.2 shall be limited for the PPA period.

5.2. Quantum of Power/ Energy to Be Procured: The procurement of power could either be in power (MW) terms or in energy (kWh or Million Units, i.e. MU) terms.

5.2.1. Procurement in Power Terms (MW):

- a) In case of procurement in power (MW) terms, the range of Capacity Utilisation Factor (CUF) will be indicated in the bidding documents. Calculation of CUF will be on yearly basis. In case the project generates and supplies energy less than the energy corresponding to the minimum CUF, the Solar Power Generator will be liable to pay to the Procurer, penalty for the shortfall in availability below such contracted CUF level. The amount of such penalty will be in accordance with the terms of the PPA, which shall ensure that the Procurer is offset for all potential costs associated with low generation and supply of power under the PPA, subject to a minimum of 25% (twenty-five per cent) of the cost of this shortfall in energy terms, calculated at PPA tariff.
- b) In case the availability is more than the maximum CUF specified, the Solar Power Generator will be free to sell it to any other entity provided first right of refusal will vest with the Procurer(s). In case the Procurer purchases the excess generation, the same may be done at 75% (seventy-five per cent) of the PPA tariff, and provision to this effect shall be clearly indicated in the RfS document.
- **5.2.2. Procurement in Energy Terms:** In case of procurement in energy (kWh or Million Units, i.e. MU) terms, and not in power (MW) terms, the range of permissible capacity of the plant in terms of MW(AC) shall be clearly specified by the Procurer in the RfS. The Procurer will also specify the **Contracted Energy Quantity (CEQ)**, including a minimum supply obligation below which the developer will be required to pay damages to the Procurer and a guaranteed energy offtake upto which the Procurer will be bound to purchase all energy generated and supplied by the developer. Any excess generation shall be treated in the same manner as specified in clause 5.2.1(b).
- **5.2.3. Repowering:** The Solar Power Generators will be free to re-power their plants from time to time during the PPA duration. However, the Procurer will be obliged to buy power only within the range of CUF (or CEQ, as relevant), specified in the PPA. Any excess generation will be dealt as specified in clause 5.2.1(b) of these Guidelines.
- **5.3. Payment Security:** The Procurer shall provide adequate payment security measures, as specified below.
- 5.3.1. Scenario 1: Direct Procurement by Procurer from Solar Power Generator:

The Procurer shall provide payment security to the Solar Power Generator through:

a) Revolving Letter of Credit (LC) of an amount not less than 1 (one) months' average billing from the Project under consideration;

AND,

- **Payment Security Fund,** which shall be suitable to support payment for at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund;
- c) In addition to a) & b) above, the Procurer may also choose to provide **State Government Guarantee**, in a legally enforceable form, ensuring that there is adequate security to the Solar Power Generator, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any.
- 5.3.2. Scenario 2: Intermediary-Procurer procures from the Solar Power Generator and sells to the End Procurer:
 - a) Payment Security by Intermediary Procurer to the Solar Power Generator:

The Intermediary Procurer shall provide payment security to the Solar Power Generator through:

i. Revolving Letter of Credit (LC) of an amount not less than 1 (one) months' average billing from the Project under consideration;

AND

ii. Payment Security Fund, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund.

b) Payment Security by End Procurer to Intermediary Procurer:

The End Procurer shall provide payment security to the Intermediary Procurer through:

i. **Revolving Letter of Credit (LC)** of an amount not less than 1 (one) months' average billing from the Project(s) under consideration;

AND.

- ii. State Government Guarantee, in a legally enforceable form, such that there is adequate security, both in terms of payment of energy charges and termination compensation if any. [for the purpose of this clause, the Tri-Partite Agreement (TPA) signed between Reserve Bank of India, Central Government and State Government shall qualify as State Government Guarantee covering the security for payment of energy charges]. The Intermediary Procurer shall ensure that upon invoking this guarantee, it shall at once, pass on the same to the Solar Power Generator, to the extent the payments to the Solar Power Generator in terms of the PPA are due.
- iii. In addition to i) & ii) above, the End Procurer may also choose to provide **Payment Security Fund**, which shall be suitable to support payment of at least 3 (three) months' billing of all the Projects tied up with such fund.

It is hereby clarified that the State Government guarantee shall be invoked only after the Intermediary Procurer has been unable to recover its dues under the PPA by means of the Letter of Credit and the Payment Security Fund, if any.

- **5.4. Force Majeure:** The PPA shall contain provisions with regard to force majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of Force Majeure, as per the industry standards.
- **5.5. Generation Compensation for Offtake Constraints:** The Procurer may be constrained not to schedule power on account of unavailability of the Transmission Infrastructure / Grid or in the eventuality of a Backdown.

5.5.1. Offtake constraints due to Transmission Infrastructure / Grid Unavailability:

a) Generation Compensation in offtake constraint due to Transmission Infrastructure not complete/ ready (Transmission constraint): After the scheduled commissioning date, if the plant is ready but the necessary power evacuation/ transmission infrastructure is not ready, for reasons not attributable to the Solar Power Generator, leading to offtake constraint, the provision for generation compensation is as follows:

Transmission Constraint	Provision for Generation Compensation
If the plant is ready but the necessary power evacuation/ transmission infrastructure is not ready, leading to offtake constraint	 a) The normative CUF of 19% (nineteen per cent) or committed CUF, whichever is lower, and in cases where the contract is in energy terms, proportionate value of CEQ, for the period of grid unavailability, shall be taken for the purpose of calculation of generation loss. Corresponding to this generation loss, the excess generation by the SPD in the succeeding 3 (three) Contract Years, shall be procured by the Procurer at the PPA tariff so as to offset this loss. b) If the transmission delay is directly attributable to the organization building the transmission network and some penalty is imposed on him, then a part of that penalty may be utilized for compensating the generation loss. The mechanism for compensating the developers will be spelt out in the tender documents. Contract Year, shall be as defined in PPA.

However, it is clarified that if the plant is ready before SCD, but the offtake is constrained because of inadequate/ incomplete power evacuation infrastructure, no compensation shall be permissible.

b) Generation Compensation in offtake constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the Solar Power

Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following

Duration of Grid unavailability	Provision for Generation Compensation
Grid unavailability in a contract year as defined in the PPA: (only period from 8 am to 6 pm to be counted):	Generation Loss = [(Average Generation per hour during the contract year) × (number of hours of grid unavailability during the contract year)] Where, Average Generation per hour during the contract year (kWh) = Total generation in the contract year (kWh) ÷ Total hours of generation in the contract year
	The excess generation by the SPD equal to this generation loss shall be procured by the Procurer at the PPA tariff so as to offset this loss in the succeeding 3 (three) Contract Years. Contract Year, shall be as defined in PPA.

Provided that as an alternative to the mechanism provided above in Clause 5.5.1, the Procurer may choose to provide Generation Compensation, in terms of PPA tariff, for the Generation loss as defined in Clause 5.5.1, and for Grid unavailability beyond 50 hours in a Contract Year as defined in the PPA.

5.5.2. Offtake constraints due to Backdown: The Solar Power Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. The Government of India, as per Clause 5.2(u) of the Indian Electricity Grid Code (IEGC), encourages a status of "must-run" to solar power projects. Accordingly, no solar power plant, duly commissioned, should be directed to back down by a Discom/ Load Dispatch Centre (**LDC**). In case such eventuality of Backdown arises, except for the cases where the Backdown is on account of events like consideration of grid security or safety of any equipment or personnel or other such conditions, the Solar Power Generator shall be eligible for a Minimum Generation Compensation, from the Procurer, in the manner detailed below.

Duration of Backdown	Provision for Generation Compensation
Hours of Backdown during	Minimum Generation Compensation =
a monthly billing cycle.	50% of [(Average Generation per hour during the month) \times (number of backdown hours during the month) \times PPA Tariff]
	Where, Average Generation per hour during the month (kWh) =
	Total generation in the month (kWh) : Total hours of generation in the month

The Generation Compensation is to be paid as part of the energy bill for the successive month after receipt of Regional Energy Accounts (REA). No Trading Margin shall be applicable on this Generation Compensation. Possible conditions for exclusion of Generation Compensation, on account of Backdown purposes, shall be clearly specified in the RfS and the PPA.

5.6. EVENT OF DEFAULT AND THE CONSEQUENCES THEREOF

While detailed provisions with regard to the event of default of the concerned parties and its resulting consequences shall be detailed in the SBDs, this clause lays down the broad principles of contractually dealing with the default of the Solar Power Generator and the Procurers (excluding the Intermediary Procurer).

5.6.1. Generator Event of Default and the consequences thereof:

a) In the event the Solar Power Generator is unable to commission the plant within the stipulated time period, or fails to supply power in terms of the PPA, or assigns or novates any of its rights or obligations contrary to the terms of the PPA, or repudiates the PPA, or effectuates a change in control or shareholding of its promoters in breach of the provisions of the PPA, or commits any other acts or omissions as laid down in the PPA and is also unable to cure any of the aforesaid within the cure

period, as may be provided in the PPA, the Solar Power Generator shall be construed to be in default.

- b) Upon being in default, the Solar Power Generator shall be liable to pay to the Procurer, damages, as detailed in the PPA, The Procurer shall have the right to recover the said damages by way of forfeiture of bank guarantee, if any, without prejudice to resorting to any other legal course or remedy.
- c) In addition to the levy of damages as aforesaid, in the event of a default by the Solar Power Generator, the lenders shall be entitled to exercise their rights of substitution, in accordance with the substitution agreement provided in the PPA and in concurrence with the Procurers. However, in the event the lenders are unable to substitute the defaulting Solar Power Generator within the stipulated period, the Procurer may terminate the PPA and acquire the Project assets for an amount equivalent to 90% of the debt due, failing which, the lenders may exercise their mortgage rights and liquidate the Project assets.

5.6.2. Procurer Event of Default and the consequences thereof:

- a) If the Procurer is in default on account of reasons including inter alia failure to pay the monthly and/or supplementary bills within the stipulated time period or repudiation of the PPA, the defaulting Procurer shall, subject to the prior consent of the Solar Power Generator, novate its part of the PPA to any third party, including its Affiliates within the stipulated period.
- b) In the event the aforesaid novation is not acceptable to the Solar Power Generator, or if no offer of novation is made by the defaulting Procurer within the stipulated period, then the Solar Power Generator may terminate the PPA and at its discretion require the defaulting Procurer to either (i) takeover the Project assets by making a payment of the termination compensation equivalent to the amount of the debt due and the 150% (one hundred and fifty per cent) of the adjusted equity as detailed in the PPA or, (ii) pay to the Solar Power Generator, damages, equivalent to 6 (six) months, or balance PPA period whichever is less, of charges for its contracted capacity, with the Project assets being retained by the Solar Power Generator.

In the event of termination of PPA, any damages or charges payable to the STU/CTU, for the connectivity of the plant, shall be borne by the Procurer.

5.7. CHANGE IN LAW

- **5.7.1.** In the event a Change in Law results in any adverse financial loss/ gain to the Solar Power Generator then, in order to ensure that the Solar Power Generator is placed in the same financial position as it would have been had it not been for the occurrence of the Change in Law, the Solar Power Generator/ Procurer shall be entitled to compensation by the other party, as the case may be, subject to the condition that the quantum and mechanism of compensation payment shall be determined and shall be effective from such date as may be decided by the Appropriate Commission.
- **5.7.2.** In these Guidelines, the term Change in Law shall refer to the occurrence of any of the following events after the last date of the bid submission, including (i) the enactment of any new law; or (ii) an amendment, modification or repeal of an existing law; or (iii) the requirement to obtain a new consent, permit or license; or (iv) any modification to the prevailing conditions prescribed for obtaining an consent, permit or license, not owing to any default of the Solar Power Generator; or (v) any change in the rates of any Taxes which have a direct effect on the Project. However, Change in Law shall not include any change in taxes on corporate income or any change in any withholding tax on income or dividends.

6. BIDDING PROCESS

- **6.1.** The Procurer shall call for the bids adopting a single stage bidding process to be conducted through Electronic mode (e-bidding). The Procurers may adopt e-reverse auction if it so desires. E-procurement platforms with a successful track record and with adequate safety, security and confidentiality features will be used. In case of a Solar Park specific Project, intimation about the initiation of the bidding process shall be given by the Procurer to the SPPD. The SPPD has to engage actively in the bidding process by providing all the necessary land and infrastructure related details and making the same available in centralized data rooms accessible to bidders.
- **6.2.** The Procurer shall invite the Solar Power Generators to participate in the RfS for installation of Solar Photovoltaic Power Plants in terms of these Guidelines.
- **6.3.** The bidding documents including the RfS and the draft PPA shall be prepared by the Procurer in consonance with these Guidelines and the SBDs. The Procurer shall also arrange the access of the bidders to the drafts of Implementation Support Agreement and land related agreements, in case the Project is required to be set up in a Solar Park.

- **6.4.** The Procurer shall publish the RfS notice in at least two national newspapers and its own website to accord wide publicity.
- **6.5.** The Procurer shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders, and shall provide written interpretation of the tender documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the website of the Procurer for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (days) therefrom, for submission of bids.

7. RFS DOCUMENT

The standard provisions to be provided by the Procurer in the RfS shall include the following:

7.1. Bid Responsiveness

The bid shall be evaluated only if it is responsive and satisfies conditions including inter-alia ~

- bidder or any of its Affiliates is not a willful defaulter to any lender
- there is no major litigation pending or threatened against the bidder or any of its Affiliates which are of a nature that could cast a doubt on the ability or the suitability of the bidder to undertake the Project.

7.2. Qualification requirements to be met by the bidders:

7.2.1. Technical Criteria:

The Government would like to encourage competition by way increased participation. However, in order to ensure proper implementation of the Projects, the Procurer may choose to specify Technical Criteria such as past experience of the bidders etc. Such criteria should be set after an assessment of the number of project developers that are expected to meet the criteria so that an adequate level of competition is achieved.

7.2.2. Financial Criteria:

a) Net-worth:

- i. The Procurer shall specify financial criteria in the form of net-worth as a part of the qualification requirement. The net-worth requirement should be at least 20% (twenty per cent) of the CERC Benchmark Capital Cost, if any, for solar PV power projects for the year in which bids are invited or the estimated project cost.
- **ii.** The net worth to be considered for the above purpose will be the cumulative net-worth of the bidding company or consortium together with the networth of those Affiliates of the bidder(s) that undertake to contribute the required equity funding and performance bank guarantees in case the bidder(s) fail to do so in accordance with the RfS.
- **iii.** It is clarified that the networth to be considered for this clause will be the total networth as calculated in accordance with the Companies Act.

b) Liquidity:

It is necessary that the bidder has sufficient cash flow/ internal accruals/ any bank reference to manage the fund requirements for the Project. Accordingly, the Procurer may also stipulate suitable parameters such as annual turnover, internal resource generation, bank references/ line of credit, bidding capacity, etc.

7.3. Quantum of the Earnest Money Deposit (EMD)

Quantum of the Earnest Money Deposit (**EMD**) in the form of a bank guarantee, to be furnished by the bidders. The EMD shall stand forfeited in the event of failure of the Solar Power Generator to execute the PPA within the stipulated time period.

7.4. Compliance of FDI Laws by foreign bidders

In case a Foreign Company is selected as the successful bidder, it shall comply with all the laws and provisions related to Foreign Direct Investment in India.

8. BID SUBMISSION AND EVALUATION

- **8.1.** Formation of consortium by bidders shall be permitted, in which case the consortium shall identify a lead member which shall be the contact point for all correspondences during the bidding process. The Procurer may specify technical and financial criteria, and lock in requirements for the lead member of the consortium.
- **8.2.** The Procurer shall constitute committee for evaluation of the bids (**Evaluation Committee**), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters/bid evaluation.
- **8.3.** The bidders may be required to submit non-refundable processing fee and/or project development fee as specified in the RfS.
- **8.4.** The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The bidders shall also be required to furnish necessary bid-guarantee in the form of an EMD along with the bids.
- **8.5.** The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS shall be considered for further evaluation on the price bids.
- **8.6.** To ensure competitiveness, the minimum number of qualified Bidders should be two. If the number of qualified bidders is less than two, even after three attempts of bidding, and the Procurer still wants to continue with the bidding process, the same may be done with the consent of the Appropriate Commission.
- **8.7.** The price bid shall be rejected, if it contains any deviation from the tender conditions. No clarifications shall normally be requested from bidders at this stage.
- 8.8. Bid evaluation methodology to be adopted by the Procurer for evaluating the bids:
- **8.8.1.** The bid evaluation mechanism shall be as follows, depending upon the tariff structure which has been adopted by the Procurers in terms of these Guidelines:
 - a) In the case of Bidding involving Tariff as the parameter, the comparison of bids shall be on the basis of the bidding criteria as specified in the RfS, i.e. the fixed tariff or the first year tariff. Ranking of the bidders will start from the bidder quoting the "lowest tariff (L1)".
 - b) In the case of Bidding involving VGF as the parameter, the bids shall be evaluated based on VGF support quoted. The bidders will have to submit bids quoting a single positive number in INR required by the bidder as VGF support. The bidders cannot quote negative VGF. The bidders, who quote NIL VGF, may submit their bid by offering a discounted tariff, lower than the pre-determined tariff offered by the Procurer. Ranking of the bidders will start from the bidder quoting the "lowest tariff (L1)" to the bidder quoting "maximum VGF (H1)".
- **8.9.** The detail procedure for evaluation of the bid and selection of the bidder shall be provided for in the RfS.

9. INDICATIVE TIME TABLE FOR BID PROCESS

- **9.1.** In the bidding process, a minimum period of 30 (thirty) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated in Annexure-I. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 120 (one hundred twenty) days.
- **9.2.** The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-I and this shall not be construed as deviation to the Guidelines.

10. CONTRACT AWARD AND CONCLUSION

- **10.1.** The PPA shall be signed with the successful bidder/ project company or an SPV formed by the successful bidder.
- **10.2.** After the conclusion of bidding process, the Evaluation Committee constituted for evaluation of RfS bids shall critically evaluate the bids and certify as appropriate that the bidding process and the evaluation has been conducted in conformity to the provisions of the RfS.
- **10.3.** For the purpose of transparency, the Procurer shall, after the execution of the PPA, publicly disclose the name(s) of the successful bidder(s) and the tariff quoted by them together with breakup into components, if any. The public disclosure shall be made by posting the requisite details on the website of the Procurer for at least 30 (thirty) days.
- **10.4.** Subject to provisions of the Act, the distribution licensee or the Intermediary Procurer, as the case, shall approach the Appropriate Commission for adoption of tariffs by the Appropriate Commission in terms of Section 63 of the Act.

11. BANK GUARANTEES

The Solar Power Generator shall provide the following bank guarantees to the Procurer in terms of the RfS and the PPA:

- **11.1.** Earnest Money Deposit (EMD), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 2% (two percent) of the Solar PV power project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost], to be submitted in the form of a bank guarantee along with response to RfS.
- 11.2. Performance Bank Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four percent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five percent), in case of site selected by the Solar Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA. In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the Solar Power Generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the Solar Power Generator under the PPA, shall be passed on by the Intermediary Procurer to the End Procurer in terms of the PSA.

12. FINANCIAL CLOSURE

The Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 7 (seven) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD.

13. MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER

- 13.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the COD (as defined in Clause 15), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. However, in case the successful bidder shall be itself executing the PPA, then it shall ensure that its promoters shall not cede control² till 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.
- **13.2.** Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the COD can be undertaken under intimation to Procurer.
- **13.3.** In the event the Solar Power Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake "Substitution of Promoter" in concurrence with the Procurers.

14. COMMISSIONING

14.1. Part Commissioning:

Part commissioning of the Project shall be accepted by Procurer subject to the condition that the Minimum Capacity for acceptance of first and subsequent part(s) commissioning shall be 50 MW, without prejudice to the imposition of penalty, in terms of the PPA on the part which is not commissioned. However, the SCD will not get altered due to part-commissioning. Irrespective of dates of part commissioning or full commissioning, the PPA will remain in force for a period of 25 (twenty-five) years from the SCD.

14.2. Early Commissioning:

The Solar Power Generator shall be permitted for full commissioning as well as part commissioning of the Project even prior to the SCD. In cases of early part-commissioning, till SCD, the Procurer may purchase the generation till SCD, at 75% (seventy-five per cent) of the PPA tariff. However, in case the entire capacity is commissioned prior to SCD, the Procurer may purchase the generation at PPA Tariff.

² The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.

14.3. Commissioning Schedule:

The Projects shall be commissioned within a period of 13 (thirteen) months from the date of execution of the PPA. However, Projects with a capacity of 250 MW and above, if being developed outside a Solar park, shall be commissioned within a period of 15 (fifteen) months from the date of execution of the PPA. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a).

15. COMMERCIAL OPERATION DATE (COD):

Commercial Operation Date (COD) shall be the date on which the commissioning certificate is issued upon successful commissioning of the full capacity of the Project or the last part capacity of the Project as the case may be.

16. TRANSMISSION CONNECTIVITY

- **16.1.** The Solar Power Plant shall be designed for inter-connection with (a) a Pooling Substation where other projects also inter-connect prior to the STU / CTU substation or, (b) directly with the STU / CTU substation; through a dedicated transmission line at the appropriate voltage level, as specified by the Procurer. The entity responsible for the construction of the relevant substation and transmission lines shall be clearly specified in the bidding documents. Depending on the implementation arrangements and design of the evacuation system, the capital costs of the transmission lines and substations prior to the STU / CTU substation may either be directly paid by the Solar Power Generator, or paid by the SPPD or another implementation agency and claimed from the Solar Power Generator as directly attributed or apportioned and recovered in lump sum or as payments over the years.
- **16.2.** In cases, where the Project site is not specified by the Procurer, the responsibility of getting Transmission Connectivity and Access to the transmission system owned by the STU / CTU will lie with the Solar Power Generator and shall be at the cost of Solar Power Generator.
- **16.3.** In cases, where the Project site specified by the Procurer is not in a Solar Park, the Procurer could choose to require the Solar Power Generator to bear the responsibility and cost of getting Transmission Connectivity and Access.
- **16.4.** In cases where the Procurer specifies a solar park where the Project is to be located, penalties, fines and charges imposed by the CTU/STU under any statute or regulation in relation to delay in commissioning of Project shall be payable by the Solar Power Generator to the extent the delay is attributable to the Solar Power Generator and the balance by the Procurer.
- **16.5.** The Metering Point, which is the point at which energy supplied to the Procurer shall be measured, shall be the low voltage bus bar of the STU / CTU substation. In case of solar parks, the metering point is the final evacuation STU / CTU substation with which the internal transmission from all the pooling substations is connected. All expenses including wheeling charges and losses between the Project and the Metering Point shall be paid by the Solar Power Generators without any reimbursement by the Procurer. All expenses including wheeling charges and losses in relation to the transmission and distribution beyond the Metering Point shall be borne by the Procurers. Arrangements shall be put in place for either the CTU / STU to bill these expenses directly to the Projects in proportion to their capacity or the normative generation from Projects sharing common infrastructure or to bill the SPPD which may recover the same directly from the Procurer or from the Solar Power Generator who may in turn seek re-imbursement from the Procurer.

17. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Procurers shall promote commercially established and operational technologies to minimize the technology risk and to achieve the commissioning of the Projects. The detailed technical parameters, for Solar PV Power Projects to be selected, shall be specified by MNRE from time to time. The current parameters are indicated in Annexure II.

18. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES

In case there is any deviation from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 90 (ninety) days.

19. ARBITRATION

In the event CERC is the Appropriate Commission, any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the CERC. All other disputes shall be resolved by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996. In the event SERC is the Appropriate Commission, then all disputes shall be adjudicated by the SERC or shall be referred for arbitration by the SERC.

20. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of New & Renewable Energy is empowered to do the same in consultation with Ministry of Power. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned.

SHALINI PRASAD, Addl. Secy.

Annexure - I

Annexure I - Time Table for Bid Process

Sl. No.	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	Date of issue of RfS Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the PSA, if applicable.	Zero date
2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS	**
3.	RfS Bid submission	30 days
4.	Evaluation of bids and issue of LOI	120 days
5.	Signing of PPA and the PSA(if applicable).	150 days

^{**} In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 6.5 of these Guidelines.

Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines.

Annexure-II

Annexure II - Technical Requirements for Grid Connected Solar PV Power Plants

The following are some of the technical measures required to ensure quality of equipment used in grid connected solar photovoltaic power projects:

1. SPV Modules

1.1. The SPV modules used in the grid solar power projects must qualify to the latest edition of any of the following IEC PV module qualification test or equivalent BIS standards.

Crystalline Silicon Solar Cell Modules IEC 61215
Thin Film Modules IEC 61646
Concentrator PV modules IEC 62108

1.2. In addition, SPV modules must qualify to IEC 61730 for safety qualification testing at 1000V DC or higher. The modules to be used in a highly corrosive atmosphere throughout their lifetime must qualify to IEC 61701.

2. Power Conditioners/ Inverters

The Power Conditioners/ Inverters of the SPV power plants must conform to the latest edition of IEC/ equivalent Standards as specified below:

Efficiency Measurements IEC 61683

Environmental Testing IEC 60068 -2/IEC 62093

EM Compatibility (EMC) IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 & other relevant parts of IEC 61000

Electrical safety IEC 62103/ IEC 62109-1&2

Anti-Islanding Protection IEEE 1547/IEC 62116/UL 1741 or equivalent BIS Standards

3. Other Sub-systems/ Components:

Other subsystems/components used in the SPV power plants (Cables, Connectors, Junction Boxes, Surge Protection Devices, etc.) must also conform to the relevant international/national Standards for Electrical Safety besides that for Quality required for ensuring Expected Service Life and Weather Resistance. It is recommended that the Cables of 600-1800 Volts DC for outdoor installations should comply with the BS EN 50618:2014/2pfg 1169/08.2007 for service life expectancy of 25 years.

4. Authorized Test Centers

The PV modules/Power Conditioners deployed in the power plants must have valid test certificates for their qualification as per above specified IEC/ BIS Standards by one of the NABL Accredited Test Centers in India. In case of module types like Thin Film and CPV / equipment for which such Test facilities may not exist in India at present, test certificates from reputed ILAC Member Labs abroad will be acceptable.

5. Warranty

PV modules used in grid solar power plants must be warranted for output wattage, which should not be less than 90% (ninety per cent) at the end of 10 (ten) years and 80% (eighty per cent) at the end of 25 (twenty-five) years.

6. Identification and Traceability

Each PV module used in any solar power project must use a RF identification tag. The following Information must be mentioned in the RFID used on each module (This can be inside or outside the laminate, but must be able to withstand harsh environmental conditions.)

- i. Name of the manufacturer of PV Module
- ii. Name of the Manufacturer of Solar cells
- iii. Month and year of the manufacture (separately for solar cells and module)
- iv. Country of origin (separately for solar cells and module)
- v. I-V curve for the module at Standard Test Condition (1000 W/m², AM 1.5, 25°C)
- vi. Wattage, I_m, V_m and FF for the module
- vii. Unique Serial No and Model No of the module

- viii. Date and year of obtaining IEC PV module qualification certificate
- ix. Name of the test lab issuing IEC certificate
- x. Other relevant information on traceability of solar cells and module as per ISO 9000

Site owners would be required to maintain accessibility to the list of Module IDs along with the above parametric data for each module.

7. Performance Monitoring:

All grid solar PV power projects must install necessary equipment to continuously measure solar radiation, ambient temperature, wind speed and other weather parameters and simultaneously measure the generation of DC power as well as AC power generated from the plant. They will be required to submit this data to Procurer and MNRE or any other designated agency on line and/or through a report on regular basis every month for the entire duration of PPA. In this regard they shall mandatorily also grant access to Procurer and MNRE or any other designated agency to the remote monitoring portal of the power plants on a 24X7 basis.

8. Safe Disposal of Solar PV Modules:

The developers will ensure that all Solar PV modules from their plant after their 'end of life' (when they become defective/ non-operational/ non-repairable) are disposed of in accordance with the "e-waste (Management and Handling) Rules, 2011" notified by the Government and as revised and amended from time to time.

F. No. 283/3/2018-GRID SOLAR

भारत सरकार / Government of India

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/ Ministry of New & Renewable Energy

ग्रिड सौर ऊर्जा प्रभाग / Grid Solar Power Division

Block No. 14, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi – 110003

Dated: 02.04.2018

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Clarification to Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects, notified on 03.08.2017, under clause 20 of these Guidelines

- 1. Reference is invited to the "Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects" notified on 03.08.2017.
- 2. "As per Clause 5.7.2 of said Guidelines, the term 'Change in Law' includes any change in the rates of any Taxes which have a direct effect on the Project.
- 3. In order to bring more clarity and remove uncertainty, it is hereby clarified that the term 'change in the rates of any taxes' as mentioned in clause 5.7.2 of "Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects" notified on 03.08.2017, includes "change in rates of taxes, duties and cess."
- 4. This clarification issues with the concurrence of Ministry of Power vide their O.M. No. 23/27/2017-R&R dated 28.03.2018, and approval of Hon'ble Minister of State (I/C) (Power & NRE).

(Sanjay Karndhar) Scientist-C

Email: karndhar.sg@nic.in

Telefax: 011-24362488

To

1. The Secretary, Ministry of Power, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110003.

Copy to:

- 1. MD, SECI
- 2. CMD, NTPC
- 3. Secretaries (including Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary), Energy/ Power of all States/UTs
- 4. PS to Hon'ble Minister (Power & NRE),
- 5. PPS to Secretary, MNRE
- 6. PPS to AS, MNRE
- 7. PPS to AS & FA, MNRE
- 8. PPS to JS (GKG), MNRE
- DS (RG), MNRE
- 10. Dir (NIC), MNRE for uploading on MNRE website



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	211]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2018⁄ ज्येष्ठ 25, 1940
No.	211]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2018/JYAISTHA 25, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली,14 जून, 2018

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन.

सं.23/27/2017-आरएंडआर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अधीन ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देश दिनांक: 03 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग-1, खंड-1) में संकल्प सं.23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा अधिसूचित किए गए।

2.0 दिनांक: 03 अगस्त, 2017 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 3.2.3 (क) का पैरा:

"भूमि अधिग्रहणः

बोली प्रस्तुत किए जाने के समय 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) भूमि की पहचान और 7 (सात) महीने के भीतर पीपीए का निष्पादन, सौर विद्युत उत्पादक अथवा उससे सम्बद्ध पक्ष के नाम में अपेक्षित भूमि का कब्जा/100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) इस्तेमाल का अधिकार स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना/लीज अनुबंध करना। यदि भूमि सम्बद्ध पक्ष के नाम पर हो, तो उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख (एससीडी) से पहले भूमि सौर ऊर्जा उत्पादक के नाम स्थानांतरित की जानी चाहिए। जहां प्राइवेट भूमि के लीज का मामला हो, तो सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट होने के मामले में, लीज के अंतर्गत भूमि ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

3365 GI/2018 (1)

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"भूमि अधिग्रहणः

पीपीए पर हस्ताक्षर होने के 12 (बारह) महीने के भीतर, सौर विद्युत उत्पादक अथवा उससे सम्बद्ध पक्ष के नाम में अपेक्षित भूमि का कब्जा/100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) इस्तेमाल का अधिकार स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना/लीज अनुबंध करना। यदि भूमि सम्बद्ध पक्ष सहित किसी अन्य संस्था के नाम पर हो, तो उत्पादन प्रारंभ होने की निर्धारित तारीख (एससीडी) से पहले भूमि/भूमि पट्टा अधिकार को सौर ऊर्जा उत्पादक के नाम स्थानांतरित की जानी चाहिए। जहां प्राइवेट भूमि के लीज का मामला हो, तो सौर विद्युत उत्पादक के डिफॉल्ट होने के मामले में, लीज के अंतर्गत भी भूमि पट्टा अधिकार ऋणदाता या खरीददार को हस्तांतरित किए जाने की अनुमित दी जानी चाहिए।"

2.2 बिंदु संख्या 12 का पैरा:

"वित्तीय समाप्ति

सौर ऊर्जा जेनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7 (सात) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा।

ऐसा न होने पर खरीददार पीबीजी का नकदीकरण करा सकता है बशर्ते देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीददार को जमान के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर उत्पादक के कृत्य/अकृत्य जैसे किसी अपरिहार्य कारण से, लेकिन वित्तीय समापन के लिए खरीददार को और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जेनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया जाएगा वह एससीडी की अविध में सोलर पावर जेनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"वित्तीय समाप्ति

सौर ऊर्जा जेनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयाविध को इन दिशा- निर्देशों में दी गई समयाविध से कम रखने की जरूरत है, खरीददार ऐसा कर सकता है।

ऐसा न होने पर खरीददार पीबीजी का नकदीकरण तब तक नही करा सकता है जब तक देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीददार को जमीन के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर उत्पादक के कृत्य/अकृत्य जैसे किसी अपरिहार्य कारण से, लेकिन वित्तीय समापन के लिए खरीददार को और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जेनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया जाएगा वह एससीडी की अविध में सोलर पावर जेनरेटर के सफलतापूर्वक चाल होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।"

2.3 बिंदु संख्या 14.3 का पैरा :

"चालू होने की समय सारिणी

परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 13 (तेरह) महीनों की अविध में चालू होंगी, लेकिन 250 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं, अगर सोलर पार्क से बाहर लगाई जा रही हों तो पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15 (पंद्रह) महीनों की अविध में चालू हो जाना चाहिए, चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जेनरेटर पर पीपीए में निर्धारित समय-सारणी के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जेनरेटर के लिए खरीददार द्वारा चुने गए स्थान के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्व निर्धारित निष्पादन तारीख भी तद्नुसार आगे बढ़ जाएगा, बर्शते परियोजना पूरी करने की समायविध में विस्तार एक साल के लिए होगा। विस्तारित अविध खंड 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख बीत जाने के बाद से शरू हो रहे 1 वर्ष की अविध तक सीमित होगी।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"चालू होने की समय सारिणी

परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 21 (इक्कीस) महीनों की अवधि में चालू होंगी, लेकिन 250 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं, अगर सोलर पार्क से बाहर लगाई जा रही हों तो पीपीए के निष्पादन की तारीख से 24 (चौबीस) महीनों की अविध में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से,दिनयत चालू होने की समयाविध को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयाविध से कम रखने की जरूरत है, तो खरीददार ऐसा कर सकता है। चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जेनरेटर पर पीपीए में निर्धारित समय-सारणी के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जेनरेटर के लिए खरीददार द्वारा चुने गए स्थान के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्व निर्धारित निष्पादन तारीख भी तद्नुसार आगे बढ़ जाएगी, बशर्ते परियोजना पूरी करने की समयाविध खंड 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख बीत जाने के बाद से शुरू हो रहे 1 वर्ष की अविध तक सीमित होगी।"

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER RESOLUTION

New Delhe, the 14th June, 2018

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 23/27/2017-R&R.— 1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I—Section 1) on 3rd August, 2017.

- 2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017 namely:-
- 2.1 The Para at point No.3.2.3 (a): "Land acquisition: Identification of the 100% (hundred per cent) land at the time of bid submission and within 7 (seven) months of the execution of the PPA, submission of documents/ Lease Agreement to establish possession/ right to use 100% (hundred per cent) of the required land in the name of the Solar Power Generator or its Affiliate. In case the land is in the name of Affiliate, the land should be transferred in the name of Solar Power Generator prior to Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land to the lenders or Procurer, in case of default of the Solar Power Generator."

May be read as under:

"Land acquisition: Within 12(twelve) months of the execution of the PPA, submission of documents/ Lease Agreement to establish possession/ right to use 100 % (hundred per cent) of the required land in the name of the Solar Power Generator or its Affiliate. In case the land is in the name of any other entity, including Affiliate, the land/ land lease rights should be transferred in the name of Solar Power Generator prior to Scheduled Commissioning Date (SCD). Wherever leasing of private land is involved, the lease should allow transfer of land lease rights to the lenders or Procurer, in case of default of the Solar Power Generator."

2.2 The Para at point No.12: "FINANCIAL CLOSURE

The Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 7 (seven) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

May be read as under:

"FINANCIAL CLOSURE

The Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement. However, if for any reason, the time period for attaining financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

2.3 The Para at point No.14.3:

"Commissioning Schedule:

The Projects shall be commissioned within a period of 13 (thirteen) months from the date of execution of the PPA. However, Projects with a capacity of 250 MW and above, if being developed outside a Solar park, shall be commissioned within a period of 15 (fifteen) months from the date of execution of the PPA. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

May be read as under:

"Commissioning Schedule:

The Projects shall be commissioned within a period of 21 (twenty one) months from the date of execution of the PPA. However, Projects with a capacity of 250 MW and above, if being developed outside a Solar park, shall be commissioned within a period of 24 (twenty four) months from the date of execution of the PPA. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer (R&R)



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08] No. 08] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2019/पौष 17, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2019/PAUSHA 17, 1940

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2019

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

- सं. 23/27/2017-आर एंड आर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 63 के उपबंधों के अधीन ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देश दिनांक : 03 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग-I, खंड-1) में संकल्प सं.23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा अधिसूचित किए गए और दिनांक: 15 जून, 2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग-I, खंड-1) में संकल्प सं.23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा संशोधित किए गए।
- 2.0 दिनांक: 15 जून, 2018 को संशोधित, दिनांक: 03 अगस्त, 2017 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 9 का पैरा:

"9. बोली प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट समय सारणी

- 9.1 आरएफएस दस्तावेज जारी करने और बोली जमा कराने की अंतिम तारीख के बीच बोली प्रक्रिया की न्यूनतम अवधि 30 (तीस) दिन होगी। बोली प्रक्रिया के लिए संकेतात्मक समय सारणी संलग्नक-1 में दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में बोली प्रक्रिया 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि में पूरी होने की संभावना होती है।
- 9.2 खरीदार संलग्नक-1 में वर्णित समय सीमा का विस्तार कर सकते हैं और इसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा।

112 GI/2019 (1)

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"9. बोली प्रक्रिया के लिए निर्दिष्ट समय सारणी

- 9.1 आरएफएस दस्तावेज जारी करने और बोली जमा कराने की अंतिम तारीख के बीच बोली प्रक्रिया की न्यूनतम अवधि 22 (बाईस) दिन होगी। बोली प्रक्रिया के लिए संकेतात्मक समय सारणी संलग्नक-1 में दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में बोली प्रक्रिया 110 (एक सौ दस) दिन की अवधि में पूरी होने की संभावना होती है।
- 9.2 खरीदार संलग्नक-1 में वर्णित समय सीमा का विस्तार कर सकते हैं और इसे दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा।

2.2 बिंदु संख्या 12 का पैरा:

"12. वित्तीय समाप्ति

सौर ऊर्जा जनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) (महीनों) में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की समयाविध को इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयाविध से कम रखने की जरूरत है, तो खरीदार ऐसा कर सकता

ऐसा न होने पर खरीदार पीबीजी का नकदीकरण तब तक नहीं करा सकता जब तक देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीददार को जमीन के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर जनरेटर के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल सोलर पावर जनरेटर के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीदार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जनरेटर पीपीए में निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी जुर्माना दिया गया होगा वह एससीडी की अविध में सोलर पावर जनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"12. वित्तीय समाप्ति

सौर विद्युत जनरेटर पीपीए की शर्तों के अनुसार, सोलर पार्क में लगायी जा रही परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 9 (नौ) महीनों में और सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही परियोजनाओं के लिए, विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 12 (बारह) महीनों में वित्तीय समापन हासिल कर लेगा। तथापि, यदि किसी कारण से, वित्तीय समापन हासिल करने की जरूरत है, खरीदार ऐसा कर सकता

ऐसा न होने पर खरीदार पीबीजी का नकदीकरण तब तक नहीं करा सकता जब तक देरी का कारण खंड 3.2.1 और खंड 3.2.2 के अनुसार सरकार द्वारा खरीदार को जमीन के आबंटन में देरी रहा हो, न कि सोलर पावर जनरेटर के कृत्य/अकृत्य अथवा किसी अप्रत्याशित कारण से हो। तथापि, केवल सोलर पावर जनरेटर के अनुरोध पर वित्तीय समापन के लिए खरीदार द्वारा और समय देने के बारे में विचार किया जा सकता है जो तभी किया जाएगा जब सोलर पावर जनरेटर पीपीए निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर दे। इस विस्तार का एससीडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी जुर्माना दिया गया होगा वह एससीडी की अविध में सोलर पावर जनरेटर के सफलतापूर्वक चालू होने पर बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।

2.3 बिंदु संख्या 14.3 का पैरा:

"14.3. चालू होने की समय सारणी

परियोजनाएं पीपीए के निष्पादन की तारीख से 21 (इक्कीस) महीनों की अविध में चालू होंगी। तथापि, 250 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता की परियोजनाएं अगर सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही हों तो पीपीए के निष्पादन की तारीख से 24 (चौबीस) महीनों की अविध में चालू हो जानी तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अविध इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयाविध से कम रखने की जरूरत है, तो खरीदार ऐसा कर सकता चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जनरेटर पर पीपीए में उल्लिखिति प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जनरेटर के लिए खरीदार द्वारा निर्धारित भूमि के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्वनिर्धारित निष्पादन की तारीख भी तदनुसार आगे बढ़ जाएगी, बर्श्त परियोजना पूरी करने की

समयावधि खंड 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख के बीत जाने के बाद से शुरू हो रही 1 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"14.3. चालू होने की समय सारणी

सोलर पार्क में लगायी जा रही परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 15 (पंद्रह) महीनों की अविध में चालू हो जानी चाहिए और सोलर पार्क से बाहर लगायी जा रही परियोजनाएं, पीपीए के निष्पादन की तारीख से 18 (अठारह) महीनों की अविध में चालू हो जानी चाहिए। तथापि, यदि किसी कारण से, पूर्वनिर्धारित निष्पादन अविध इन दिशा-निर्देशों में दी गई समयाविध से कम रखने की जरूरत है, तो खरीदार ऐसा कर सकता है। चालू करने की निर्धारित तारीख के बाद विलंब से शुरू होने पर सोलर पावर जनरेटर पर पीपीए में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर सोलर पावर जनरेटर के लिए खरीदार द्वारा निर्धारित भूमि के हस्तांतरण में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विलंब होने पर वित्तीय समापन और पूर्वनिधारित निष्पादन की तारीख भी तदनुसार आगे बढ़ जाएगी, बशर्ते परियोजना पूरी करने की समयाविध खंड 3.2.1(ए) के प्रावधानों के अनुसार बकाया 10 प्रतिशत भूमि के हस्तांतरण की तारीख के बीत जाने के बाद से शुरू हो रही एक वर्ष की अविध तक सीमित होगी।"

2.4 संलग्नक-I:

"संलग्नक-I: बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्रम सं .	कार्य	शुरुआत से बीता समय
1.	आरएफएस परियोजना के लिए विशिष्ट विद्युत खरीद समझौतों के	शून्य तारीख
	मसौदे, अन्य परियोजना समझौतों के मसौदे और पीएसए, अगर लागू	
	हों तो की तारीख ,	
2.	बोली के बारे में स्पष्टीकरण, कान्फ्रेंस, साइट समेत परियोजना से	**
	संबंधित तमाम विशिष्ट विवरणों को साझा करने के लिए ऑनलाइन	
	डेटारूम खोलना (अगर खरीदार द्वारा कहा गया हो), और आरएफएस	
	का संशोधन	
3.	आरएफएस बोली भेजा जाना	30दिन
4.	बोलियों का मूल्यांकन और एलओआई जारी करना	120दिन
5.	पीपीए और पीएसए पर दस्तखत (अगर लागू हो)	150दिन

^{**}आरएफएस दस्तावेज में किसी भी बदलाव की स्थिति में खरीदार इन दिशानिर्देशों के उपबंध 6.5 के अनुसार बोली लगाने वाले को अतिरिक्त समय देगा।

नोट: यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर खरीदार बोली लगाने की प्रक्रिया में किसी कार्य में विलंब की वजह से उसे पूरा करने के लिए किसी कार्य के लिए बोलीदाता को अतिरिक्त समय देता है तो इस अतिरिक्त समय को इन दिशानिर्देशों में किसी भी तरह का विचलन नहीं माना जाएगा।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"संलग्नक-I: बोली प्रक्रिया के लिए समय-सारणी

क्रम सं .	कार्य	शुरुआत से बीता समय
1.	आरएफएस परियोजना के लिए विशिष्ट विद्युत खरीद समझौतों के मसौदे, अन्य परियोजना समझौतों के मसौदे और पीएसए, अगर लाग्	शून्य तारीख
	हों तो की तारीख ,	

2.	बोली के बारे में स्पष्टीकरण, कान्फ्रेंस, साइट समेत परियोजना से संबंधित तमाम विशिष्ट विवरणों को साझा करने के लिए ऑनलाइन डेटारूम खोलना (अगर खरीदार द्वारा कहा गया हो) और आरएफएस का संशोधन	**
3.	आरएफएस बोली भेजा जाना	22 दिन
4.	बोलियों का मूल्यांकन और एलओआई जारी करना	110 दिन
5.	पीपीए और पीएसए पर दस्तखत (अगर लागू हो)	140 दिन

**आरएफएस दस्तावेज में किसी भी बदलाव की स्थिति में खरीदार इन दिशानिर्देशों के उपबंध 6.5 के अनुसार बोली लगाने वाले को अतिरिक्त समय देगा।

नोट : यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर खरीदार बोली लगाने की प्रक्रिया में किसी कार्य में विलंब की वजह से उसे पूरा करने के लिए किसी कार्य के लिए बोलीदाता को अतिरिक्त समय देता है तो इस अतिरिक्त समय को इन दिशानिर्देशों में किसी भी तरह का विचलन नहीं माना जाएगा**"**

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER RESOLUTION

New Delhi, the 3rd January, 2019

Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 23/27/2017-R&R.—1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 3rd August, 2017 and have been amended vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 15th June, 2018.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017, amended on 15th June 2018, namely:-

2.1 The Para at point No. 9:

"9. INDICATIVE TIME TABLE FOR BID PROCESS

- **9.1.** In the bidding process, a minimum period of 30 (thirty) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated in Annexure-I. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 120 (one hundred twenty) days
 - **9.2.** The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-I and this shall not be construed as deviation to the Guidelines."

May be read as under:

"9. INDICATIVE TIME TABLE FOR BID PROCESS

- 9.1. In the bidding process, a minimum period of 22 (twenty two) days shall be allowed between the issuance of RfS documents and the last date of bid submission. The indicative timetable for the bidding process is indicated in Annexure-I. In normal circumstances, the bidding process is likely to be completed in a period of 110 (one hundred ten) days
- **9.2.** The Procurer may give extended timeframe than indicated in the Annexure-I and this shall not be construed as deviation to the Guidelines."

2.2 The Para at point No. 12:

"12. Financial Closure

The Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement. However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

May be read as under:

"12. Financial Closure

Solar Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within 9 (nine) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects being set up in Solar park, and within 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for projects being set up outside Solar park. However, if for any reason, the time period for attaining the financial closure needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same.

Failing the aforesaid, the Procurer shall encash the PBG unless the delay is on account of delay in allotment of land by the Procurer in terms of Clause 3.2.1 and Clause 3.2.2 or delay in allotment of land by the Government not owing to any action or inaction on the part of the Solar Power Generator or caused due to a Force Majeure. An extension for the attainment of the financial closure can however be considered by the Procurer, on the sole request of the Solar Power Generator, on payment of a penalty as specified in the PPA. This extension will not have any impact on the SCD. Any penalty paid so, shall be returned to the Solar Power Generator without any interest on achievement of successful commissioning within the SCD."

2.3 The Para at point No. 14.3:

"14.3. Commissioning Schedule:

The Projects shall be commissioned within a period of 21 (twenty one) months, from the date of execution of the PPA. However, Projects with a capacity of 250 MW and above, if being developed outside a Solar park, shall be commissioned within a period of 24 (twenty four) months from the date of execution of the PPA. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

May be read as under:

"14.3. Commissioning Schedule:

"The projects shall be commissioned, within a period of 15 (fifteen) months from the date of execution of the PPA, for projects being set up in Solar park, and within a period of 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA, for projects being set up outside Solar park. However, if for some reason, the scheduled commissioning period needs to be kept smaller than that provided in these Guidelines, the Procurer can do the same. Delay in commissioning, beyond the Scheduled Commissioning Period shall involve penalties on the Solar Power Generator, as detailed out in PPA. In case of site specified by the Procurer, any delay in handing over land to the Solar Power Generator in accordance with the given timelines, shall entail a corresponding extension in financial closure and scheduled commissioning date, provided that the maximum extension shall be limited to a period of 1 year commencing from the expiry of date of handing over of balance 10% of land in terms of Clause 3.2.1 (a)."

2.4 The Annexure-I:

"Annexure I - Time-Table for Bid Process

Sl. No.	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	Date of issue of RfS Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the PSA, if applicable.	Zero date
2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS	**
3.	RfS Bid submission	30 days
4.	Evaluation of bids and issue of LOI	120 days
5.	Signing of PPA and the PSA(if applicable).	150 days

^{**} In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 6.5 of these Guidelines.

Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines."

May be read as under:

"Annexure I - Time-Table for Bid Process

Sl. No.	Event	Elapsed Time from Zero date
1.	Date of issue of RfS Project specific draft Power Purchase Agreements and other draft Project Agreements, and the PSA, if applicable.	Zero date
2.	Bid clarification, conferences, opening of online Data Room to share all Project specific details including site, if specified by Procurer etc. & revision of RfS	**
3.	RfS Bid submission	22 days
4.	Evaluation of bids and issue of LOI	110 days
5.	Signing of PPA and the PSA(if applicable).	140 days

^{**} In case of any change in RfS document, the Procurer shall provide the bidders additional time in accordance with clause 6.5 of these Guidelines.

Note: It is clarified that if the Procurer gives extended time for any of the events in the bidding process, on account of delay in achieving the activities required to be completed before the event, such extension of time shall not in any way be deviation from these Guidelines."

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer



अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019/आषाढ़ 20, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2019/ASHADHA 20, 1941 No. 1931

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2019

ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन

सं. 23/27/2017-आर एंड आर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 63 के उपबंधों के अधीन ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के ज़रिए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देश दिनांक: 03 अगस्त, 2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग-I, खंड-1) में संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा अधिसूचित किए गए और दिनांक: 15 जून, 2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग- I, खंड-1) में संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर एवं 7 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र (असाधारण), (भाग- I, खंड-1) में संकल्प सं. 23/27/2017-आरएंडआर के द्वारा संशोधित किए गए।

2.0 दिनांक: 15 जून, 2018 एवं 7 जनवरी, 2019 को संशोधित, दिनांक: 03 अगस्त, 2017 के उक्त दिशा-निर्देशों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 11.2 का पैराः

"11.2 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का निर्धारण खरीदार द्वारा पीपीए प्रस्तुत करते समय किया जाएगा [लेकिन यह खरीदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए] । अन्य उपायों के अलावा सोलर पावर जनरेटर को विद्युत

3535 GI/2019 (1) खरीद समझौते की शर्तों में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थ खरीदार द्वारा पीपीए की शर्तों के अनुसार सोलर पावर जनरेटर में किसी प्रकार की चूक होने पर पीबीजी के नकदीकरण के जिए क्षतिपूर्ति/देययताएं वसूले जाने की स्थिति में क्षति/देयता पीएसए की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ खरीदार द्वारा आखिरी खरीदार को अंतरित कर दी जाएगी।"

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"11.2 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) का निर्धारण खरीदार द्वारा पीपीए प्रस्तुत करते समय किया जाएगा [लेकिन यह खरीदार द्वारा निर्दिष्ट स्थान होने पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बोली आमंत्रित किये जाने वाले साल में परियोजना लागत के 4 प्रतिशत (चार प्रतिशत) से अधिक और सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थान का चयन किये जाने की स्थिति में 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) या अनुमानित परियोजना लागत से अधिक नहीं होना चाहिए]। अन्य उपायों के अलावा सोलर पावर जनरेटर को विद्युत खरीद समझौते की शर्तों में निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में किसी तरह का नुकसान होने/देयताएं उत्पन्न होने पर पीबीजी का नकदीकरण किया जा सकेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थ खरीदार द्वारा पीपीए की शर्तों के अनुसार सोलर पावर जनरेटर में किसी प्रकार की चूक होने पर पीबीजी के नकदीकरण के जरिए क्षतिपूर्ति/देययताएं वसूले जाने की स्थिति मे क्षति/देयता, 'ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी विद्युत परियोजनाओं से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धत्मक बोली प्रक्रिया के ज़िरए बिजली की खरीद के लिए दिशा-निर्देशों' की धारा 5.3.2.क.ii के उपबंधों के अधीन मध्यस्थ खरीदार द्वारा अनुरक्षित भुगतान सुरक्षा निधि में जमा कर दी जाएगी।"

2.2 बिंदु संख्या 13 का पैरा:

"13. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी का प्रोमोटर द्वारा रखा जाना

- 13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 1 (एक) साल पहले खरीदार की पूर्वानुमित कि बिना किसी भी समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे।अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सापूंजी खरीदार की पूर्वानुमित के बिना सीओडी से 1 (एक) साल पहले किसी भी वक्त 51(इक्यावन) प्रतिशत से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर सफल बोलीदाता स्वयं ही पीपीए कर रहा हो तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रोमोटर सीओडी से 1 (एक) साल पहले तक खरीदार की अनुमित के बिना कंपनी पर अपना नियंत्रण² खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रोमोटरों और उनकी हिस्सापूंजी के बारे में खरीदार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।
- 13.2 सीओडी से 1 (एक) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सापूंजी में कोई भी बदलाव खरीदार को सूचना देकर किया जा सकता है।
- 13.3 अगर सोलर पावर जनरेटर ने किसी ऋणदाता (ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि वह खरीदारों की सहमति से'प्रोमोटर बदल' सके।

[भाग I-खण्ड I] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"13. न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी का प्रोमोटर द्वारा रखा जाना

13.1 सफल बोलीदाता अगर एकल कंपनी हो तो उसे यह सुनश्चित करना होगा कि एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली कंपनी में उसकी हिस्सेदारी सीओडी (जिसे अनुच्छेद 15 में परिभाषित किया गया है) की तारीख से 3 (तीन) साल पहले खरीदार की पूर्वानुमित कि बिना किसी भी समय समय 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे न पहुंचे। अगर सफल बोलीदाता कंपनियों का समूह हो तो इस स्थिति में एसपीवी/पीपीए पर दस्तखत करने वाली परियोजना कंपनी में समूह की कंपनियों की संयुक्त हिस्सापूंजी खरीदार की पूर्वानुमित के बिना सीओडी से 3 (तीन) साल पहले किसी भी वक्त 51 (इक्यावन) प्रतिशत से नीचे नहीं पहुंचनी चाहिए। सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके प्रोमोटर सीओडी से 3 (तीन) साल पहले तक खरीदार की अनुमित के बिना बोलीदाता कंपनी / कंपनियों के समूह पर अपना नियंत्रण² खत्म न होने दें। ऐसी स्थिति में यह भी जरूरी होगा कि सफल बोलीदाता अपने प्रोमोटरों और उनकी हिस्सापूंजी के बारे में खरीदार के साथ विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत करने से पहले सूचनाएं उपलब्ध करा दें।

13.2 सीओडी से 3 (तीन) साल पूरा हो जाने के बाद हिस्सापूंजी में कोई भी बदलाव खरीदार को सूचना देकर किया जा सकता है।

13.3 अगर सोलर पावर जनरेटर ने किसी ऋणदाता (ओं) की देनदारी चुकाने में चूक की हो तो ऋणदाता को इस बात का अधिकार होगा कि वह खरीदारों की सहमति से'प्रोमोटर बदल' सके।"

²'नियंत्रण' शब्द का अर्थ है स्वामित्व, ऐसी कंपनी के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक वोटिंग शेयरों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व, अथवा बहुसंख्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार।

2.3 बिंदु संख्या 20 का पैरा:

"20. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

अगर इन दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान को लागू करने या दिशानिर्देशों की व्याख्या अथवा इनमें संशोधन में कोई अड़चन आती है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस बात का अधिकार है कि वह विद्युत मंत्रालय के परामर्श से यह कार्य पूरा करे। इस संबंध में सभी संबद्ध पक्ष किसी भी निर्णय को मानने को बाध्य होंगे।

निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"20. दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण और संशोधन

अगर इन दिशानिर्देशों के किसी प्रावधान को लागू करने या दिशानिर्देशों की व्याख्या अथवा इनमें संशोधन में कोई अड़चन आती है तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस बात का अधिकार है कि वह मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केअनुमोदन से यह कार्य पूरा करे। इस संबंध में सभी संबद्ध पक्ष किसी भी निर्णय को मानने को बाध्य होंगे।"

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 9th July, 2019

Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects

No. 23/27/2017-R&R.—1.0 The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 3rd August, 2017 and have been amended vide resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 15th June, 2018 and resolution No. 23/27/2017-R&R published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I-Section) on 7th January, 2019.

2.0 The following amendments are hereby made in the said guidelines of 3rd August, 2017, amended on 15th June 2018 and 7th January, 2019 namely:-

2.1 The Para at point No. 11.2:

"11.2 Performance Bank Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four per cent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five per cent), in case of site selected by the Solar Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA. In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the Solar Power Generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the Solar Power Generator under the PPA, shall be passed on by the Intermediary Procurer to the End Procurer in terms of the PSA."

May be read as under:

"11.2 Performance Bank Guarantee (PBG), to be fixed by the Procurer [but not to be more than 4% (four per cent), in case of site specified by the Procurer, and 5% (five per cent), in case of site selected by the Solar Power Generator, of the Project cost, as determined by CERC, if any, for the financial year in which the bids are invited or the estimated project cost] to be submitted at the time of signing of the PPA. In addition to the other remedies, this PBG can be encashed to recover any damages/dues of the Solar Power Generator in terms of the PPA. It is hereby clarified that the damages/dues recovered by the Intermediary Procurer by encashing the PBG, upon the default of the Solar Power Generator under the PPA, shall be credited to the Payment Security Fund to be maintained by the Intermediary Procurer under Clause 5.3.2.a.ii. of 'Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Solar PV Power Projects'."

2.2 The Para at point No. 13:

"13. MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER

- 13.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 1 (one) year from the COD (as defined in Clause 15), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. However, in case the successful bidder shall be itself executing the PPA, then it shall ensure that its promoters shall not cede control² till 1 (one) year from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.
- **13.2.** Any change in the shareholding after the expiry of 1 (one) year from the COD can be undertaken under intimation to Procurer.
- **13.3.** In the event the Solar Power Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake "Substitution of Promoter" in concurrence with the Procurers."

May be read as under:

"13. MINIMUM PAID UP SHARE CAPITAL TO BE HELD BY THE PROMOTER

- 13.1. The successful bidder, if being a single company, shall ensure that its shareholding in the SPV/project company executing the PPA shall not fall below 51% (fifty-one per cent) at any time prior to 3 (three) years from the COD (as defined in Clause 15), except with the prior approval of the Procurer. In the event the successful bidder is a consortium, then the combined shareholding of the consortium members in the SPV/project company executing the PPA, shall not fall below 51% at any time prior to 3 (three) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. Further, the successful bidder shall ensure that its promoters shall not cede control² of the bidding company/ consortium till 3 (three) years from the COD, except with the prior approval of the Procurer. In this case it shall also be essential that the successful bidder shall provide the information about its promoters and their shareholding to the Procurer before signing of the PPA with Procurer.
- **13.2.** Any change in the shareholding after the expiry of 3 (three) years from the COD can be undertaken under intimation to Procurer.
- **13.3.** In the event the Solar Power Generator is in default to the lender(s), lenders shall be entitled to undertake "Substitution of Promoter" in concurrence with the Procurers."

2.3 The Para at point No. 20:

"20. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of New & Renewable Energy is empowered to do the same in consultation with Ministry of Power. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned."

May be read as under:

"20. CLARIFICATION AND MODIFICATION TO GUIDELINES

If any difficulty arises in giving effect to any provision of these Guidelines or interpretation of the Guidelines or modification to the Guidelines, Ministry of New & Renewable Energy is empowered to do the same, with the approval of Minister, New & Renewable Energy. The decision in this regard shall be binding on all the parties concerned."

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer (R&R)

²The expression 'control' shall mean the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty per cent) of the voting shares of such Company or right to appoint majority Directors.